5

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2019-20)

(सत्रहवीं लोक सभा)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगे

(2020-21)

पांचवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941 (शक)

पांचवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2019-20)

(सत्रहवीं लोक सभा)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगे

(2020-21)

13-3-2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

13-3-2020 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941 (शक)

	विषय वस्तु	
	समिति की संरचना **संक्षिप्ताक्षर** **प्राक्कथन**	
	प्रतिवेदन	
	भाग एक	
1	प्रस्तावना	
2	एमईआईटीवाई की अनुदानों की मांगें (2019-2020) विषय पर समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
3	बजट विश्लेषण	
3.1	वर्ष 2020-2021 के लिए एमईआईटीवाई की अनुदानों की मांग संख्या 24	
3.2	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों और अव्ययित शेष राशि की स्थिति	
3.3	आन्तरिक और बाह्य बजटीय संसाधन	
4	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) - गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस (जीआईएमएस)	
5	साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन),एनसीसीसी और डाटा शासन	
6	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	
6.1	इलेक्ट्रोनिक शासन(ईएपी सहित)	
6.1.1	डिजिटल लॉकर प्रणाली (ईएपी सहित)	
6.1.2	राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी)	
6.2	इलेक्ट्रोनिकी और हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन	
6.2.1	संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम सिप्स)	
6.2.2	इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी) योजना	
6.3	साइबर सुरक्षा परियोजना (एनसीसीसी और अन्य)	
6.4	प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पी एम जी डीआई एसएचए)	
7	विविध	

7.1	राष्ट्रीय सॉफ्टवेर उत्पाद नीति	
	भाग-दो	
	टिप्पणियाँ/सिफारिशें	
	अनुबंध	
एक	इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण के लिए सरकार की पहलें	
दो	सॉफ्टवेर उत्पादों के संबंध में राष्ट्रीय नीति : लक्ष्य और स्थिति	
	परिशिष्ट	
एक	समिति की 10 फ़रवरी, 2020 को हुई 14वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो	समिति की 11 मार्च, 2020 को हुई 18वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री पी. आर. नटराजन
13. श्री संतोष पान्डेय
14. श्री निशीथ प्रामाणिक
15. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
16. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
17. श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण
18. श्री संजय सेठ
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. टी. सुमति तामिझाची
21. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी

25. श्री सुरेश गोपी
26. श्री मो. नदीमुल हक
27. श्री सैयद नासिर हुसैन
28. डॉ. नरेन्द्र जाधव
29. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी
30. श्री रोनाल्ड सपा लाउ
31. श्री बेनी प्रसाद वर्मा

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट	-	अपर सचिव
2. श्री वाई. एम. कांडपाल	-	निदेशक
3. डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
4. श्री अभिषेक शर्मा	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

संक्षिप्ताक्षर

एई	-	वास्तविक व्यय
आसियान	-	दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन
बीई	-	बजट अनुमान
सीएजीआर	-	चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर
सीएएस	-	कंडीशनल एक्सेस सिस्टम
सीएटी	-	साइबर अपीलीय प्राधिकरण
सीसीए	-	प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक
सीसीबीटी	-	कन्वर्जेन्स कम्युनिकेशंस एंड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी
सी-डैक	-	प्रगत संगणन विकास केंद्र
सीईआरटी-इन	-	इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पोंस टीम
सीएफसी	-	सामान्य सुविधा केंद्र
सी-एमईटी	-	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र
सीएससी	-	सामान्य सेवा केंद्र
डीबीटी	-	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीसीओ	-	डाटा सेंटर ऑपरेटर
डीईआईटीवाई	-	इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएचक्यू	-	जिला मुख्यालय
डीआईसी	-	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
डीपीआर	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरडीओ	-	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
ईडीएफ	-	इलेक्ट्रोनिकी विकास निधि
ईएफसी	-	व्यय वित्त समिति
ईएमसी	-	इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण क्लस्टर्स
ईएमडीसी	-	इलेक्ट्रोनिक सामग्री विकास परिषद्
ईओएल	-	रूचि अभिव्यक्ति
ईआरएनईटी	-	शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क
ईएसडीएम	-	इलेक्ट्रोनिकी तंत्र डिजाइन और विनिर्माण

एफएबी	-	सेमीकंडक्टर वफर फेब्रिकेशन
जी2बी	-	गवर्नमेंट-टू-बिजनेस
जी2सी	-	गवर्नमेंट-टू-सिटीजन
जी2जी	-	गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट
जीआईएमएस	-	सरकारी त्वरित सन्देश सेवा
एचक्यू	-	मुख्यालय
आईबीपीएस	-	भारत बीपीओ संवर्धन स्कीम
आईसीटी	-	सूचना और संचार तकनीकी
आईईबीआर	-	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन
आईटीए	-	सूचना तकनीकी समझौता
आईटीईएस	-	सूचना तकनीकी समर्थ सेवाएं
एमईआईटीवाई	-	इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएलए	-	मीडिया लैब एशिया
एमएमपीएस	-	मिशन मोड प्रोजेक्ट्स
एमओएफ	-	वित्त मंत्रालय
एमओयू	-	समझौता ज्ञापन
एम-एसआईपीएस	-	संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम
एमएसएमई	-	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनएडी	-	राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार
एनएएसएससीओएम	-	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी
एनसीसीसी	-	राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र
एनसीआरबी	-	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनईबीपीएस	-	उत्तर-पूर्व बीपीओ संवर्धन स्कीम
एनईजीडी	-	राष्ट्रीय ई-गवेर्नेंस प्रभाग
एनईजीपी	-	राष्ट्रीय ई-गवेर्नेंस योजना
एनईआर	-	उत्तर-पूर्व क्षेत्र
एनआईसी	-	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईईएलआईटी	-	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

एनआईएक्सआई	-	नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
एनकेएन	-	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
एनएलपी	-	नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग
एनएसएम	-	राष्ट्रीय सुपर-कंप्यूटिंग मिशन
पीसी	-	निजी कंप्यूटर
पीएलआई	-	उत्पादन योजित प्रोत्साहन
पीएमजीडीआईएसएचए	-	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
पीओपी	-	पॉइंट ऑफ प्रेसेंस
आरएंडडी	-	अनुसंधान और विकास
आरएएस	-	त्वरित आकलन तंत्र
आरई	-	संशोधित अनुमान
आरएफपी	-	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
एसएएमईईर (समीर)	-	प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान
एसडीए	-	राज्य नामित एजेंसियां
एसडीसी	-	राज्य आंकड़ा केंद्र
एसएचक्यू	-	राज्य मुख्यालय
एसआईपीएस	-	विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम
एसएमई	-	लघु और मध्यम उद्यम
एसपीईसीएस	-	इलेक्ट्रोनिक घटक और सेमीकंडक्टर्स विनिर्माण संवर्धन योजना
एसपीवी	-	विशेष उद्देश्य वाहन
एसटीपीआई	-	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एसटीक्यूसी	-	मानकीकरण, जाँच और गुणवत्ता प्रमाणन
एसडब्ल्यूएएन	-	स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
टीडीआईएल	-	भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास
टीओटी	-	तकनीक का अंतरण
यूसी	-	उपयोग प्रमाणपत्र

यूटी	-	संघ-राज्य क्षेत्र
वीजीएफ	-	व्यवहार्यता अन्तराल निधियन
वीएलई	-	ग्राम स्तर उद्यमी

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदानों की मांगों (2020-21) के विषय पर समिति का यह पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) का गठन 13 सितंबर, 2019 को हुआ लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. में यथा निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

3. समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 05 फरवरी, 2020 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने 10.02.2020 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. 11.03.2020 को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

5. समिति इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली: **डॉ. शशि थरूर,**

11 मार्च, 2020 **सभापति,**

21 फाल्गुन,1941 (शक(**सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी सम**

भाग- एक

प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता को लाइसेंस प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य सभी मामले) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। एमईआईटीवाई का विजन एक विकसित राष्ट्र और सशक्त समाज के रूप में परिवर्तन के लिए इंजन के रूप में भारत का ई-विकास करना है। इसका मिशन नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-शासन को बढ़ावा देना इलेक्ट्रॉनिकी, आईटी और आईटीईएस उद्योग के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट अभिशासन के वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत की भूमिका को बढ़ाते हुए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाना जिसमें मानव संसाधनों का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दक्षता बढ़ाना तथा एक सुरक्षित साइबरस्पेस सुनिश्चित करना शामिल है।

2. एमईआईटीवाई के उद्देश्यों को लागू करने के लिए योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। ये कार्य या तो सीधे अथवा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिम्मेदारी केंद्रों (संगठनों/संस्थानों) के माध्यम से किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा जगत और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से भी सहयोग की मांग की जाती है।

3. एमईआईटीवाई के दो संबद्ध कार्यालय (अर्थात एनआईसी, एसटीक्यूसी) छह स्वायत्त सोसायटियां (अर्थात सी-डैक, सी-मेट, नाइलिट, समीर, एसटीपीआईऔर अर्नेट/अर्नेट), तीन सांविधिक संगठन (अर्थात यूआईडीएआईए आई-सर्ट, और सीसीए) और तीन धारा 8 कंपनियां (अर्थात एनआईसीएसआई, निक्सी और डिजिटल इंडिया, कारपोरेशन (डीआईसी), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी (अर्थात सीएससीई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) हैं, जो मंत्रालय के लिए आबंटित कार्यों को पूरा करने में सहयोग करते हैं।

दो. <u>एमईआईटीवाई की अनुदानों की मांगों (2019-20) विषय पर समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।</u>

4. वर्ष 2019-20 के लिए एमईआईटीवाई की अनुदानों की मांगों" विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन को 10 दिसंबर, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया। विभागों से संबद्ध स्थायी समिति (डीआरएससी) के प्रक्रिया नियम" के नियम 34 (1) के तहत संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के अंदर समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर उन्हें की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण अभी प्राप्त होना है।

तीन. <u>बजट विश्लेषण</u>

3.1 <u>वर्ष 2020-21 के लिए एमईआईटीवाई की अनुदानों की मांग संख्या 24</u>

5. पिछले दो वर्षों और वर्ष 2020-21 के लिए अलग-अलग योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय का बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

	वास्तविक (2018-10)	**बीई (2019-20)**	**आरई (2019-20)**	**बीई (2020-21)**
राजस्व	6049.82	6306.00	5561.46	6524.03
पूंजी	307.60	348.00	278.00	375.00
कुल	**6357.42**	**6654.00**	**5839.46**	**6899.03**

6. वास्तविक आंकड़े (2018-19), वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तथा 2020-21 के लिए बजट अनुमान में अंतर के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने सूचित किया कि:-

"वित्त वर्ष 2018-19 में वास्तविक व्यय 6347.42 करोड़ रु. था। बीई 2019-20 में निर्धारित बजट 6654.00 करोड़ रुपए है। इसलिए, लगभग रु. 97 करोड़ की वृद्धि है जो वित्त वर्ष 2018-19 के वास्तविक व्यय का 4.7 प्रतिशत है। वृद्धि मुख्य रुप से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, पीएमजीदिशा और इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के संबंध में अतिरिक्त आवंटन के कारण थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 के बीई और आरई के बीच का अंतर वित्त मंत्रालय द्वारा 814.54 करोड़ रुपए के बजटीय कटौती के कारण था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन में बीई 2019-20 के मुकाबले लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 245 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह मंत्रालय विशेष रुप से राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी/सीसीबीटी, पीएमजीदिशा, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के संबंध में चल रहे/परिचालन खर्च के मद्देनजर 2020-21 के दौरान पूरी तरह से 6899.03 करोड़ रु. के आवंटन का उपयोग करने में सक्षम होगा।"

7. पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय का योजना आवंटन में उपयोग निम्नवत् है:-

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित	बीई	आरई	वास्तविक उपयोग	आरई के संबंध में प्रतिशत उपयोग	पीई के संबंध में प्रतिशत उपयोग
2018-19	9959.00	6000.00	6381.00	6357.41	99.63	105.96
2019-20	12059.39	6654.00	5839.46	4610.95 (31.01.2020 के अनुसार)	78.96	69.30
2020-21	11023.00	6899.03				

8. 11023.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन में भारी कमी करके बजट अनुमान चरण में 6899.03 करोड़ रुपए करने के कारण और इस भारी कमी के कारण योजनाओं/कार्यकलापों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि हालांकि एमईआईटीवाई द्वारा किए गए अनुमानों और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा आबंटित फंडों के बीच 4124 करोड़ रुपए का अंतर है, फिर भी बीई 2019-20 प्रावधान के बारे में लगभग 3.7 और आरई 2019-20 प्रावधान पर 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कहा गया है कि एमईआईटीवाई ने दोनों स्कीमों (चालू) और गैर-स्कीमों (स्थापना से संबंधित व्यय) के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 11023 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था। हालांकि वित्त मंत्रालय (एमओएफ) बजटीय प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को धन आबंटित करता है। एमओएफ आमतौर पर चल रही योजनाओं के बजटीय प्रावधान को 5-7 प्रतिशत तक बढ़ाने की नीति से जुड़ा है। बीई 2019-20 में योजना का प्रावधान जो 3750.76 करोड़ रु. था, बीई 2020-21 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और इसे से 3958 करोड़ रु. कर दिया गया है। हालांकि नई योजनाओं/परियोजनाओं की मंजूरी, सरकार की नई नीतियों के कार्यान्वयन, सार्वजनिक लाभ के लिए कुछ योजनाओं के सुधार आदि के मामले में आबंटन बढ़ जाता है।

यह भी एक तथ्य है कि आमतौर पर प्रस्तावित और अनुमोदित व्यय के अनुमानों के बीच एक अंतर है। मंत्रालय स्तर पर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिबद्ध परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए निधियों को पहले आबंटित किया जाए और इसे टाला नहीं जा सकता है और फिर शेष राशि को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं/परियोजनाओं के बीच एमओएफ से विशेष निर्देश आदि पर वितरित किया जाता है। एमईआईटीवाई हमेशा ही कोशिश करता है कि इस तरह की योजनाओं के बीच आबंटति धन योजनाओं/परियोजनाओं में कम से कम विरोधी प्रभाव के साथ कार्यान्वित करने के लिए जारी रखा जाए। इसके अलावा, आवश्यकता होने पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने हेतु संशोधित अनुमान (आरई) चरण में एमओएफ का भी अनुरोध किया जाता है।

9. जब समिति ने धनराशि के उपयोग में कमी जो संशोधित अनुमान के संदर्भ में 78.96 प्रतिशत है, के कारणों के बारे में पूछा और क्या मंत्रालय 2019-20 के दौरान मार्च, 2020 के अंत तक आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के प्रति आशान्वित है, तो मंत्रालय ने जवाब

दिया कि आरई चरण पर प्रत्याशित बजटीय कटौती और पूर्व-बजट बैठक में हुई चर्चाओं के मद्देनजर व्यय की गति को धीमा कर दिया गया। हालांकि 2019-20 के संबंध में धन के उपयोग में कोई कमी नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम प्रावधान का लगभग 74 प्रतिशत अब तक पहले ही खर्च किया जा चुका है और आरई आबंटन के 21 प्रतिशत का उपयोग मार्च, 2020 के अंत तक किया जाएगा।

10. 2017-18 से 2019-20 के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय तथा 2020-21 के लिए बजट अनुमान का योजनावार ब्यौरा निम्नवत् है:-

क्र. सं.	**योजना/गैर-योजनाएं**	**2017-18**			**2018-19**			**2019-20**			**2020-21**
		बीई	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक***	**बीई**
1	सचिवालय (एमईआईटीवाई)	105.00	86.50	85.15	100.00	100.00	105.31	110.24	110.00	82.73	116.03
2	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)	1040.00	1040.00	1076.16	1100.00	1207.36	1209.11	1150.00	1257.91	1040.29	1285.00
3	नियामक प्राधिकारी	**167.48**	**133.11**	**122.07**	**157.00**	**148.83**	**142.47**	**170.00**	**163.00**	**119.35**	**274.00**
3.1	एसटीक्यूसी कार्यक्रम	120.00	100.63	93.21	110.00	110.00	107.47	120.00	120.00	90.76	125.00
3.2	साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन एंड एनसीसीसी)	40.48	26.48	22.92	40.00	31.83	29.90	42.00	35.00	23.55	140.00
3.3	प्रमाणन प्राधिकारण नियंत्रक (सीसीए)	7.00	6.00	5.94	7.00	7.00	5.10	8.00	8.00	5.04	9.00
4	स्वायत्त और अन्य	**1053.**	**1353**	**1303.**	**1570**	**1572**	**1571**	**1473**	**1096**	**914.9**	**1266.00**

	निकायों की सहायता	**76**	**.76**	**55**	**.00**	**.00**	**.99**	**.00**	**.03**	**0**	
4.1	उन्नत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)	92.00	92.00	92.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	127.00
4.2	एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर) सोसाइटी	42.00	42.00	42.00	70.00	97.29	97.29	90.00	100.00	90.00	98.00
4.3	इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (सी-एमईटी)	14.00	14.00	13.95	20.00	24.71	24.71	30.00	33.25	30.00	50.00
4.4	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (रा.इ.सू.प्रौ.सं.) राष्ट्रीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और ईएमटीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	ई.आर.नेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	डिजिटल इंडिया कारपोरेशन (पूर्व विधायक)	5.76	5.76	5.60	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	4.50	6.00

4.8	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	900.00	1200.00	1150.00	1375.00	1345.00	1344.99	1227.00	836.78	670.40	985.00
	योजनाएं										
4	**डिजिटल इंडिया कार्यक्रम**	**1672.76**	**1425.63**	**1451.59**	**3073.00**	**3352.81**	**3328.54**	**3750.76**	**3212.52**	**2453.68**	**3958.00**
4.1	जनशक्ति विकास	306.76	256.76	256.58	300.00	300.00	300.00	400.75	338.00	232.47	430.00
4.2	इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस	240.00	240.00	260.53	400.00	400.00	396.66	400.00	392.87	335.78	400.00
4.3	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ई-गवर्नेंस)	21.00	17.00	16.75	25.00	25.00	24.99	50.00	10.00	5.27	25.00
4.4	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	150.00	135.00	135.00	150.00	320.00	320.00	160.00	274.64	160.00	400.00
4.5	इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर एंड एमएफजी का प्रचार (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	745.00	484.87	460.37	864.22	844.22	727.35	986.00	690.00	501.54	980.00
4.6	आईटी और आईटीएस उद्योगों को बढ़ावा देना (विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन)	9.00	6.00	42.66	50.00	43.81	64.77	100.00	90.00	34.22	170.00

4.7	आईटी और इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में आरएंडडी	101.00	101.00	100.93	178.00	180.00	179.00	416.00	435.00	326.67	762.99
4.8	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)	100.00	60.00	55.69	110.00	110.00	107.48	120.00	102.00	58.60	170.00
4.9	डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा	0.00	25.00	23.08	595.78	691.78	770.29	600.00	480.00	399.13	220.00
4.10	पीएमजीदिशा	0.00	100.00	100.00	400.00	438.00	438.00	518.00	400.00	400.00	400.00
4.11	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	कुल योग	**4039.00**	**4039.00**	**4038.52**	**6000.00**	**6381.00**	**6357.42**	**6654.00**	**5839.46**	**4610.95**	**6899.03**

11. बजटीय आवंटन के संबंध में एमईआईटीवाई के प्रतिनिधि ने निम्नवत् बताया:-

"पिछले वर्ष बजट 6654 करोड़ रुपए था जो 2018-19 के लगभग समान था, इसमें बहुत ही मामूली वृद्धि हुई थी, लेकिन हम इसे व्यय करने की स्थिति में थे। लेकिन संशोधित अनुमान में हमारे बजट आवंटन को घटाकर 518 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसलिए, यह लगभग 8 प्रतिशत की कमी थी। 31 जनवरी की स्थिति तक हम इसका 80 प्रतिशत खर्च कर पाए। एक प्रतिबंध यह है कि वर्ष के दिसंबर तक आप 60 प्रतिशत से ज्यादा व्यय नहीं कर सकते हैं। इसलिए, हम जनवरी तक 80 प्रतिशत व्यय कर पाए। हम 100 प्रतिशत से ज्यादा निश्चिंत हैं कि हमें जो कुछ मिला है, हम सभी व्यय कर पाएंगे।"

12.प्रतिनिधि ने यह भी बताया:

> ".....xxx…….. हमने प्रस्तुतीकरण में एक स्लाइड दिखाया था जिसमें हमने यह दिखाया था कि यदि हमें यह पैसा नहीं मिलता है, तो श्रमशिक्त के प्रशिक्षण जैसी कुछ प्रमुख योजनाएं, जिसके बारे में एक सदस्य ने अपनी चिंता व्यक्त की, विशेषकर भावी कौशल कार्यक्रम और हमारे इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण कार्यक्रम प्रभावित होंगे। यह पैसा लगभग 11000 करोड़ रुपए है। समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस राशि को व्यय करने की क्षमता हमारे पास है। यदि हमें यह पैसा नहीं मिलता है, तो कार्यक्रम का समय विस्तार हो जाएगा और इस पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं होगा।"

3.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बकाया उपयोग प्रमाण पत्र और अव्ययित शेष राशि की स्थिति।

13. मंत्रालय ने 1.4.2019, 31.12.2019 और 03.02.2020 के अनुसार लंबित उपयोग प्रमाण पत्र की स्थिति निम्नवत् बताया:-

	1.4.2019, के अनुसार	31.12.2019 के अनुसार	03.02.2020 के अनुसार
लंबित उपयोग प्रमाण पत्र की संख्या	305	150	141
लंबित राशि	रु. 987.55 करोड़	रु. 398.62 करोड़	रु. 319.85 करोड़

14. मंत्रालय ने यह भी बताया कि लंबित यूसी की संख्या 305 से घटकर 141 हो गई है और तदनुरुप राशि भी पर्याप्त रुप में कम हो गई है, अर्थात् पिछले 10 मास के दौरान 68 प्रतिशत हो गया है। इसलिए, लंबित यूसी के परिसमापन के लिए एमईआईईवाई द्वारा किए गए प्रयास सफल साबित हो रहे हैं क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए अनुदान प्राप्त संस्थानों की अव्ययित शेष राशि लगातार कम हो रही है। एमईआईटीवाई समय समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रहा है ताकि विभिन्न परियोजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके जो आगे यह सुनिश्चित करती है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी अनुदान का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा,

सचिव (एमईआईटीवाई) एएसएंडएफए विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान की उपयोगिता स्थिति का पता लगाने के लिए समय समय पर यूसी की स्थिति की समीक्षा करता है। इस तरह एमईआईटीवाई अनुदान प्राप्त संस्थानों के साथ शून्य लंबित यूसी और न्यूनतम अनिर्दिष्ट संतुलन की दिशा में प्रयास कर रहा है।

15. मार्च, 2020 में देश में होने वाले यूसी की वास्तविक संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि चूंकि यूसी का परिसमापन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मार्च, 2020 में देश में होने वाले यूसी की वास्तविक संख्या का पता 1 अप्रैल, 2020 में ही लगाया जा सकता है। तथापि, देय यूसी की वास्तविक संख्या और अनुदान प्राप्त संस्थानों के पास अव्ययित शेष राशि 03.02.2020 तक निम्नवत् है:-

05.02.2020 तक	राशि (करोड़ रु. में)	यूसी की संख्या
उपयोग प्रमाणपत्र	319.86	141
अनिर्दिष्ट शेष जिसके लिए यूसी नहीं है	3114.46	514
राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ कुल अनुपस्थित शेष	3434.32	655

3.3 <u>आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

16. मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सोसाइटियों/कार्यालयों के संदर्भ में आईईबीआर की स्थिति और बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान चरण में प्रस्तावित आईईबीबार, आईईबीआर तथा वास्तविक उपयोग की स्थिति निम्नवत् बताई है:

(करोड़ रुपए में)

सोसाइटी का नाम	**2018-19**			**2019-20**		
	प्रस्तावित/ बीई	आरई	उपलब्धि	प्रस्तावित/बीई	आरई	उपलब्धि **(31.12.2019**

						की स्थिति के अनुसार)
रा.इ.सू.प्रौ.सं.	328.04	353.21	355.62	373.14	384.60	237.46
ई.आर.नेट	90.00	82.00	95.75	90.00	70.00	38.33
एसटीपीआई/ईएचटीपी	186.83	186.96	179.22	194.50	214.57	169.20
सी-डैक	415.00	450.00	570.00	500.00	500.00	996.89
समीर	58.00	58.00	75.11	60.00	60.00	14.96
सी-एमईटी	30.60	30.60	16.08	31.25	31.25	28.91
कुल	**1108.47**	**1160.77**	**1291.78**	**1248.89**	**1260.42**	**1485.75**

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 (दिसंबर, 2020 तक) में सं.अ. में लक्ष्य के संबंध में आईईबीआर की उपलब्धियां क्रमश: 111 प्रतिशत और 118 प्रतिशत रहे हैं। इसलिए, दोनों वर्षों में कोई कमी नहीं हुई।

17. जब समिति ने सी-डैक द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए अपना आईईबीबार निर्धारित लक्ष्य का लगभग दोगुना प्राप्त करने के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत सी-डैक को 586 करोड़ रुपए एमईआईटीवाई और डीएसटी से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सी-डैक को राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ईसीजीसी, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और पीएसयू से भी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इसलिए, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आईईबीआर में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है।

चार. <u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)-गवर्मेंट इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस (जीआईएमएस)</u>

18. एनआईसी द्वारा सरकार के अंदर तत्काल संदर्भ सेवा के लिए विकसित जीआईएमएस एक ओपन सोर्स, सुरक्षित, क्लाउड इनेब्लड और स्वदेशी प्लेटफार्म है। इसमें मोबाइल ऐप और पोर्टल शामिल है। यह ऐप विभिन्न स्तरों पर अंतर और अंतरा सरकारी संचार के लिए है एवं इसे संदर्भ को प्रबंधित करने तथा अन्य सरकारी ऐपों के साथ समेकन करने के लिए समनुरुप बनाया जा सकता है। प्रबंधन पोर्टल, संगठन और उसके कर्मचारियों, सरकारी समूह प्रबंधन, डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक है। जीआईएमएस एनडीसी शास्त्री पार्क में है और इसके एंड्रायड तथा आईओएस संस्करण http:gims.nic.in पर उपलब्ध है। जीआईएमएस की विशेषताओं में वन-टू-वन और समूह संदेश, एलडीएपी के साथ एकल साइन-ऑन, एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन, एनआईसी मेल, डिजी लॉकर जैसे ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के साथ एपीआई आधारित समेकन शामिल हैं। ई-ऑफिस से एलर्ट और अधिसूचना,एप्लीकेशन सुरक्षा, एनआईसी सर्ट, एनआईसी एचआरएमएस, ड्यूटी पोर्टल आदि के लिए जीआईएमएस सरकारी संचार चैनल है। इसमें इनक्रिप्टेड बैक अप सुविधा तथा तुरंत प्रतिपुष्टि प्रणाली सहित चैट बोट इनेब्लड डैश बोड सेवाएं हैं।

19. जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या व्हाट्एसऐप जैसे लोकप्रिय इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफार्म का भारतीय समकक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव है जो सरकारी अधिकारियों की विदेश में होस्टेड या विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले ऐप से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बिना, सरकारी संचार जरुरतों को पूरा कर सके, इस पर मंत्रालय ने बताया कि एनआईसी गवर्नमेंट इंस्टैंट मैसेजिंग सिस्टम (जीआईएमएस) पर कार्य कर रही है जो ओपन सोर्स, क्लाउड इनेब्लड, एंड टू एंड इनक्रप्टि ओपन सोर्स प्लेटफार्म है और भारत सरकार के डाटा सेंटर में होस्टेड है।

20. गवर्मेंट इंस्टैंट मैसेजिंग सिस्टम (जीआईमएस) को प्रचालनात्मक संस्करण शुरु होने की समय-सीमा नियत होने के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि जीआईएमएस बीटा परीक्षण अवस्था में है और कई विभाग इसके पीओसी में भाग ले रहे हैं। उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और इसमें सुधार लाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

पांच. <u>साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन), एनसीसीसी और डाटा शासन</u>

21. इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 प्रदान किया गया बीई 140 करोड़ है। विनियामक प्राधिकरण के संबंध में बीई, आरई और एई का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बीई	आरई	एई
2018-19	40.00	31.83	29.90
2019-20	42.00	35.00	23.55 (31.1.2020 तक)
2020-21	140.00		

22. बजट अनुमान 2019-20 में 42.00 करोड़ रुपए से 2020-21 में 140 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि किए जाने के कारण और संवर्धित आवंटन के उपयोग किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि आवंटन में वृद्धि सर्ट-इन-परिचालन व्यय के अलावा एनसीसीसी परियोजना के लिए आवर्ती व्यय (गैर-योजना) के लिए निधियों के आवंटन की आवश्यकता के कारण ही है। इसके अलावा, आवंटित निधियों में अब पूंजी (मशीनरी और उपकरण) लागत भी शामिल है, जो पहले एक अलग बजट शीर्ष था और अब इस एकल शीर्ष में विलय कर दिया गया है। इसलिए वास्तव में वृद्धि 90 करोड़ (2019-20) से रु. 140 करोड़ (2020-21) है। बढ़े हुए आवंटन का उपयोग प्रशिक्षित जनशक्ति की स्थिति और सर्ट-इन के आईसीटी बुनियादी ढांचे के संवर्द्धन के लिए किया जाएगा।

23. साइबर सुरक्षा शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों और एनसीसीसी की स्थापना की अद्यतन स्थिति के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

एक. घटना प्रतिक्रिया हेल्प डेस्क के 24x 7 संचालन

दो. सर्ट-इन के आईसीटी बुनियादी ढांचे का विस्तार और रखरखाव

तीन. साइबर स्वच्छ केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) के आईसीटी अवसरंचना का विस्तार और रखरखाव

चार. साइबर फोरेंसिंक सुविधा के आईसीटी बुनियादी ढांचे का विस्तार और रखरखाव

एनसीसीसी का चरण-1 जुलाई, 2017 से प्रचालित किया गया था। इस चरण में 20 साइटें जिसमें आईएसपीपी शामिल हैं और बहुत सारे संगठनों से मेटाडेटा संग्रह और

विश्लेषण किया जा रहा है। एनसीसीसी के अगले चरण का कार्यान्वयन भी शुरु हो गया है।

चरण-दो. चरण-एक को 2019-2020 के दौरान परिचालन करने के लिए लक्षित किया गया है जिसका उद्देश्य 15 अन्य साइटों से मेटाडेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, नियोजित गतिविधियों में मेटाडेटा संग्रह, चरण-एक उपाय के संचालन और रखरखाव के लिए 40 साइटों को जोड़ने के लिए प्राथमिक और आपदा रिकवरी के लिए सह-स्थान सेवाओं को हायर करने (डीआर) डाटासेंट्रे साइट्स और ऑफिस स्पेस का नवीनीकरण। पूंजी आईटी उपकरण (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित) की खरीद की जाती है।

24. एनसीसीटी और डाटा प्रणाली घटक जिसे 2020-21 में शीर्ष में जोड़ा गया, के बारे में और ब्यौरा देते हुए मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा सेंध और साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में बड़े पैमाने पर राय बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र (एनसीसीसी) का गठन करने के लिए कदम उठाए हैं। यह केंद्र मेटाडाटा स्तर पर देश में साइबर स्पेस की जांच करेगा और रियल टाइम पारिस्थितिक जागरुकता पैदा करेगा। एनसीसीसी एक बहु-हितधारी निकाय है तथा इसका कार्यान्वयन भारतीय कंप्यूटर आपदा प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) द्वारा किया जा रहा है। यह केंद्र रियल टाइम आधार पर देश में कई संगठनों तथा कंपनियों को साइबर हमलों और साइबर घटनाओं को शमन करने में सुविधा देगा।

25. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में राजस्व व्यय, के लिए प्रमुख अर्थात् यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, किराया, दरें और कर आदि एनसीसीसी के कार्यालय और प्रशासनिक खर्चों की देखभाल करने के लिए एमईआईटीवाई शीर्ष बनाए गए थे और इसके लिए 8.5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त सभी स्थापना व्यय घटकों को साइबर सिक्योरिटी (सर्ट-इन एंड एनसीसीसी) बजट शीर्ष के अंतर्गत प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट 67 करोड़ रुपए है।

26. आवंटन में वृद्धि सर्ट-इन परिचालन खर्च के अलावा एनसीसीसी परियोजना हेतु राजस्व व्यय (गैर-योजना) के लिए धन के आवंटन की आवश्यकता के कारण है।

छह. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

27. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक व्यापक कार्यक्रम है, जो एमईआईटीवाई द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को समामेलित करता है। इसमें बहुत सारे विचार और अवधारणाएं मिलकर एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करते हैं ताकि उनमें से प्रत्येक का कार्यान्वयन एक बड़े लक्ष्य के भाग के तौर पर किया जा सके। इनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत महत्व है, लेकिन पूरी सरकार का हिस्सा भी है। डिजिटल इंडिया की दृष्टि तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात् (एक) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवरी यूटिलिटी टु एवरीवन (दो) गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड और (तीन) डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन डिजिटल इंडिया का लक्ष्य विकास क्षेत्रों के नौ स्तंभों अर्थात् (एक) ब्रॉडबैंड हाईवे (दो) यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी (तीन) पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम (चार) ई-गवर्नेंस- प्रौद्योगिकी के माध्मम से सुधार (पांच) ई-क्रांति-सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी (छह) सभी के लिए सूचना (सात) इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण-लक्ष्य एनई शून्य आयात (आठ) रोजगार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और (नौ) प्रारंभिक फसल कार्यक्रम

28. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रत्येक योजना के लिए पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय तथा 2020-21 के लिए आवंटित बजट अनुमान निम्नवत् है:-

योजनाएं/गैर-योजनाएं	**2017-18**			**2018-19**			**2019-20**			**2020-21**	
	बीई	**आरई**	**वास्तविक व्यय**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक व्यय**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक व्यय (31.01.2020 के अनुसार)**	**प्रस्तावति**	**बीई**
डिजिटल इंडिया	1672.76	1425.63	1451.59	3073.00	3352.81	3328.57	3750.76	3212.52	2453.68	6940.00	3958.00

कार्यक्रम											
जनशक्ति विकास	306.76	256.76	256.58	300.00	300.00	300.00	400.75	338.00	232.47	550.00	430.00
इलेक्ट्रॉनिक शासन (ईएपी सहित)	261.00	257.00	277.28	425.00	425.00	421.66	450.00	402.87	341.05	850.00	425.00
इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना	745.00	484.87	460.37	864.22	844.22	727.37	986.00	690.00	501.54	1545.00	980.00
आईटी और आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना	9.00	6.00	42.66	50.00	43.81	64.77	100.00	90.00	34.22	200.00	170.00
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)	150.00	135.00	135.00	150.00	320.00	320.00	160.00	274.64	160.00	500.00	400.00
आईटी और इलेक्ट्रॉनिकी/ सीसीबीटी में आरएंडडी	101.00	101.00	100.93	178.00	180.00	179.00	416.00	435.00	326.67	1300.00	762.99
साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी	100.00	60.00	55.69	110.00	110.00	107.48	120.00	102.00	58.60	400.00	170.00

और अन्य)											
डिजिटल पेमेंट को बढावा	0.00	25.00	23.08	595.78	691.78	770.29	600.00	480.00	399.13	320.00	220.00
पीएमजीदिशा	0.00	100.00	100.00	400.00	438.00	438.00	518.00	400.00	400.00	1175.00	400.00
चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना							0.01	0.01	0.00	100.00	0.01

29. 2015-16 से 2019-20 के दौरान योजनाओं की अधिकतम और न्यूनतम प्रगति तथा इसके कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

''न तो नीति आयोग और न ही एमईआईटीवाई की आर्थिक योजना विभाग द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन किया गया है। हालांकि, नीति आयोग के परामर्श से वर्तमान में त्रिपक्षीय मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्ति, प्राक्कलन संबंधी संसदीय समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान जांच के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषय लिए हैं। समिति ने एमईआईटीवाई के संबंध में "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की समीक्षा" विषय का चयन किया है।''

30. जब समिति ने 2019-20 के दौरान योजनाओं यथा आईटी और आईटीज इंडस्ट्री, साइबर सुरक्षा परियोजना (एनसीसीसी और अन्य), डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन तथा श्रमशक्ति विकास में कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने सूचित किया कि इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस) के अंतर्गत रोजगार लक्ष्य को पूरा करने के आधार पर 1 लाख रुपए प्रति सीट तक की पूंजी और परिचालन व्यय सहायता प्रदान की जाती है। जैसा कि ये समर्थन पुन: प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ज्यादातर कंपनियां वित्तीय वर्ष के अंत में वीजीएफ राशि का दावा करती है और इसलिए, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आईटी और आईटीएस उद्योग को बढ़ावा देने के तहत कम उपयोग हुआ है। हालांकि,

वर्तमान में, वीजीएफ के लगभग 10 करोड़ रुपए का दावा 21/02/2020 को होने वाली आईएमसी की बैठक के लिए एजेंडा का हिस्सा है।

31. वित्तीय वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी हार्डवेयर एमएफजीजी के संवर्धन के लिए 690 करोड़ रु. के आरई प्रावधान के विरुद्ध 17.02.2020 को 597.73 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की वित्तीय मंजूरी के आदेश जारी किए जा चुके हैं और 558.51 करोड़ रुपए का व्यय पहले ही हो चुका है। यह प्रभाग चालू वित्त वर्ष 2019-20 की शेष अवधि में शेष राशि खर्च करने के लिए अनुमोदन आदेश प्रस्तुत करेगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की योजना के तहत, वित्त वर्ष 2019-20 में 600 करोड़ रु. का बीई प्रावधान किया गया था, जिसे आरई चरण में घटाकर 480 करोड़ रु. कर दिया गया है। 480 करोड़ रुपए में से 19.02.2020 की स्थिति के अनुसार 400.65 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पर्याप्त राशि का उपयोग किया गया है और संभावना है कि शेष राशि का उपयोग चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भी किया जाएगा।

32. विशेष रुप से पीएमजीडीआईएसएचए, साइबर सुरक्षा परियोजनाएं, इलेक्ट्रॉनिकी शासन, आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी हार्डवेयर संवर्धन आदि जैसी योजनाओं में आवंटन चरण में भारी कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि यह एक तथ्य है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए बजटीय अनुमानों और एमओएफ द्वारा किए गए वास्तविक आवंटन के बीच एक अंतर है। चल रही योजनाओं के मामले में, एमओएफ आमतौर पर पिछले वर्ष के आबंटन के 7 प्रतिशत तक आबंटन बढ़ाता है। मंत्रालय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिबद्ध/परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए धन को एफआईआर द्वारा आवंटित किया जाता है, जिसे टाला नहीं जा सकता है और एमओएफ से विशेष निर्देश आदि पर फिर शेष राशि प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं/परियोजनाओं के बीच वितरित की जाती है। हमेशा योजनाओं के बीच धन को इस तरह वितरित करने की कोशिश की जाती है कि योजनाओं/परियोजनाओं को कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ लागू किया जाता रहे। हालांकि, किसी भी योजना या राष्ट्रीय हित की परियोजना के तहत धन की तत्काल आवश्यकता के मामले में अनुदानों के लिए अनूपूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त धन की मांग बढ़ाने की हमेशा गुंजाइश होती है।

6.1 इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (ईएपी सहित)

33. ई-शासन का उद्देश्य, व्यापक रुप में, सभी सरकारी सेवाओं को इलेकट्रॉनिक रुप से नागरिकों को उनके/उनके इलाके में एकीकृत और अंतर-संचालन प्रणालियों के माध्यम से कई मोडों द्वारा वितरित करना है, जबकि सस्ती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

34. इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 में दिया गया अनुमान 425 करोड़ रुपए है। इन वर्षों के लिए बीई, आरई और एई का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बीई	आरई	एई
2018-19	425.00	425.00	421.65
2019-20	450.00	402.87	341.05 (31.1.2020 तक)
2020-21	425.00		

6.1.1 डिजिटल लॉकर प्रणाली (ईएपी सहित)

35. डिजिटल लॉकर सिस्टम (डिजीलॉकर) डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच है, इस प्रकार यह भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करने में मदद कर रहा है। डिजीलॉकर का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल वॉलेट प्रदान करना है, ताकि सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रुप से एक स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके और किसी भी समय कहीं से भी पहुंचा जा सके।

उपलब्धियां:

- 3.59 करोड़ + पंजीकृत उपयोगकर्ता
- 373 करोड़ + जारी किए गए दस्तावेज उपलब्ध हैं
- 154 जारीकर्ता और 45 अनुरोधकर्ता पंजीकृत
- सीबीएसई और आईसीएसई और 21 राज्य शिक्षा बोर्डों से 30 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र
- महत्वपूर्ण विभाग और दस्तावेज जैसे-यूआईडीएआई-आधार, एमओआरटीएच-ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण, एमओपीएनजी-एलपीजी सदस्यता वाउचर, सीबीडीटी-पैन

सत्यापन रिकॉर्ड, लगभग 20 राज्यों के ई-जिला प्रमाण पत्र, 4 राज्यों के लिए भूमि रिकॉर्ड, राष्ट्रीय/राज्य कौशल प्रमाण पत्र, आदि।

- डिजीलॉकर के लिए एमएचआरडी द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनईडी) के रुप में बनने के लिए मुख्य अनुमोदन।

36. डिजीलॉकर प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने और उपभोग करने के लिए एक प्रतिमान बनाने में सक्षम रहा है। डिजीलॉकर ने डिजिटल वॉलेट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल प्रारुप में महत्वपूर्ण पहचान, शैक्षिक, परिवहन, वित्तीय और नगरपालिका दस्तावेज प्रदान करने का प्रयास किया है। जारीकर्ताओं के साथ संपर्क में रहने और उनके दस्तावेजों को डिजिटाइज करने में मदद करने और आखिरकार इन डिजिटल दस्तावेजों को नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारी प्रयास के कारण 373 करोड़ से अधिक प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं। अगला कदम नागरिकों को सेवाएं देते समय सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा इन दस्तावेजों का उपभोग करना है।

37. वर्तमान में, हर महीने औसतन 2 करोड़ प्रमाणिक दस्तावेजों की खपत हो रही है। और, औसतन 30,000 नागरिक प्रतिदिन इस प्लेटफॉर्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

38. यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि कागज आधारित सेवा वितरण अभी भी प्रचलित है। सेवा वितरण के लिए डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए अलग-अलग नियामक डोमेन के संगत कृत्यों और नियमों में बदलाव की आवश्यकता होती है।

39. डिजीलॉकर प्रणाली के प्रसार को बाधित करने वाले प्रमुख कारण हैं-केंद्रीय डिजिटलीकरण अधिदेश का अभाव, डिजिटल दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए नियामक ढांचे में प्रावधानों की कमी, सरकारी विभागों में सेवा देने के लिए डिजिटल दस्तावेजों की खपत की कम प्रवृत्ति और डिजी लॉकर के उपयोग के प्रति सरकारी विभागों और नागरिकों में जागरुकता की कमी।

40.इन्हें दूर करने के लिए, विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- डिजीलॉकर से उपलब्ध दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए आईटी अधिनियम, 2000 के तहत डिजिटल लॉकर नियम, 2016 और नियम 9ए, 2017 के लिए इसके संशोधन को अधिसूचित किया गया था।

- डिजिटल दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए नियामक संबंधी परिवर्तनों करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित मंत्रालयों और विभागों के साथ कार्य किया है।
- <u>वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)</u>

  डिजिटल केवाईसी दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन
- <u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u>

  केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 में संशोधन किया गया है। इसके बाद, बहुत से राज्यों ने डिजिटल प्रारुप में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की स्वीकृति के लिए अधिसूचना भी जारी की है।
- <u>रेल मंत्रालय</u>

  रेल यात्रा के लिए पहचान के प्रमाण के रुप में डिजिटल आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति
- नागर विमानन मंत्रालय

  बीबीएएस (ब्यूरो ऑफ सिविल एविशन एंड सिक्योरिटी) द्वारा एयरपोर्ट प्रवेश के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से प्रस्तुत पहचान प्रमाण को स्वीकार करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजीलॉकर आधारित डिजिटल दस्तावेज लेनदेन प्रणाली को अपनाने के लिए ट्राई, आईआरडीए, सेबी, ईसीआई इत्यादि नियामक प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है, जो बाद में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगा।
- एमईआईटीवाई ने नागरिक जागरुकता के लिए विभिन्न डिजिटल अभियान चलाए हैं और प्रिंट मीडिया और रेडियो चैनल (रेड एफएम) में डिजिलॉकर के बारे में विज्ञापन दिया है।

डिजीलॉकर के माध्यम से सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए विभागों को जागरुक करने के लिए पूरे देश में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

6.1.2 राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी)

41. आज की तारीख तक चालू राज्य डाटा केंद्रों (एसडीसी) की संख्या और वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तक चालू किए गए एसडीसी की स्थिति के बारे में समिति को निम्नवत् सूचना दी गई:-

- आज की तारीख में 29 एसडीसी चालू है।
- 2016-17 में एसडीसी ऑपरेशनल का संचालन: हिमाचल प्रदेश और झारखंड
- 2017-18 में एसडीसी का संचालन: गोवा और पंजाब
- 2018-19 में एसडीसी का संचालन: उत्तराखंड और असम के लिए डेटा सेंटर ऑपरेटर का चयन

42. वर्ष 2020-21 के दौरान एसडीसी की स्थापना के लक्ष्य के बारे में मंत्रालय ने बताया कि एसडीसी असम का कार्यान्वयन प्रगति पर है। डेटा सेंटर ऑपरेटर (डीसीओ) का चयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और वित्त वर्ष 2020-21 में इसके संचालन की संभावना है। 10 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि एसडीसी के लिए ओएंडएम चरण के तहत जारी की जा सकती है।

43. असम, अरुणाचल प्रदेश और दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीसी की स्थापना में 2019-2020 के दौरान हुई प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् सूचना दी:-

- <u>असम एसडीसी</u>: असम एसडीसी गैर-आईटी घटक के लिए कार्यान्वयन कार्य पहले ही डाटा सेंटर ऑपरेटर द्वारा शुरु कर दिया गया था। असम एसडीसी टीम ने बताया कि 31 मार्च, 2020 तक इसके चालू होने की उम्मीद है।
- <u>अरुणाचल प्रदेश एसडीसी</u>: डेटा सेंटर ऑपरेटर (डीसीओ) अभी तक चयनित नहीं है। एसडीएमसी बोली जीईएम पोर्टल पर मंगाई गई थी और इसे 28 अगस्त, 2019 को खोलने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह बताया गया कि किसी भी विक्रेता ने भाग नहीं लिया और फिर से रद्द कर दिया गया।
- <u>दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव</u>: डीसीओ गैर निष्पादन के मुद्दे पर समाप्त किया गया। वे फिर से नए आरएफपी ला रहे हैं।

एमईआईटीवाई 2019-20 के लक्ष्य हासिल करने के लिए आशान्वित है।

6.2 इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन

44. सरकार उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई पहल कर रही है। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और आयात को पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य एक महत्वपूर्ण इरादा दर्शा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और भारत के पास इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण हब बनने और जीडीपी, रोजगार के अवसरों और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।

45.एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स योजनाओं में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त लक्ष्यों और वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में विस्तृत टिप्पण देने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् जवाब दिया:-

(एक) <u>संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स):</u> देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा जुलाई, 2012 में एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) की घोषणा की गई थी ताकि बाधा को दूर किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम) इंडस्ट्रीज में निवेश आकर्षित किया जा सके। इस योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद क्षेत्र शामिल करके योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अगस्त, 2015 में संशोधन किया गया है। निवेश में तेजी लाने के लिए इस योजना को जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है-विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20 प्रतिशत और गैर-एसईजेड में 25 प्रतिशत। प्रोत्साहन पूरे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाली 44 श्रेणियों/इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों के क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं।

इस योजना के तहत 101964.11 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश वाले 395 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की तारीख तक 72649.83 करोड़ रु. के निवेश वाले 257 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। आज की तारीख तक 72 आवेदकों को 900.39 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है।

दो. <u>इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना</u>: इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना 22 अक्तूबर, 2012 को अधिसूचित की गई है, ताकि सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और निवेश को आकर्षित करने के लिए सुविधा हेतु

सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत 3565 एकड़ के क्षेत्रफल वाली 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्वीकृत किए गए हैं जिसकी कुल परियोजना लागत 3,898 करोड़ रुपए है जिसमें 1,577 करोड़ रुपए की सरकारी अनुदान सहायता भी शामिल है तथा कुल 1577 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता में से ईएमसी के जीआईए के रुप में 594.72 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 185 इकाइयों ने ईमसी के अंतर्गत 756 एकड़ जमीन ली है। इनमें से 26 इकाइयों ने 4741 करोड़ रु; के निवेश के साथ उत्पादन शुरु कर दिया है। जिससे लगभग 12000 नौकिरयों का सृजन हुआ है। लगभग 15000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश के साथ 51 यूनिटों की स्थापना की जा रही है।

(तीन) इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ): ईडीएफ की स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने वाली कंपिनयों को जोखिम पूंजी प्रदान करने के लिए की गई है। 5,500 करोड़ रुपए की लक्षित निधि के लिए ईडीएफ के माध्यम से 11 डॉटर फंड को 659 करोड़ रुपए का प्रतिबद्ध किया गया है। ईडीएफ ने 7 डॉटर फंड में 126.81 करोड़ करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसने 78 स्टार्टअप और कंपनियों में 663.96 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन स्टार्टअप और कंपनियों द्वारा 177 आईपी बनाए गए हैं। समर्थित स्टार्टअप्स और कंपनियों में कुल रोजगार लगभग 9,232 है। ईडीएफ ने अपने योगदानकर्ताओं से 156.33 करोड़ रुपए-एमईआईटीवाई से 150.33 करोड़ रुपए तथा केनरा बैंक और सीवीसीएफएल से 6 करोड़ रुपए निकाले हैं।

संकेतक का नाम	**2019-20 (आज तक) प्राप्त लक्ष्य**	**2020-21 के लिए लक्ष्य**
एमएसआईपीएस-पूंजीगत व्यय पर दिए गए प्रोत्साहन की कुल राशि	410 करोड़ रु.	500 करोड़ रु.
एमएसआईपीएस-निवेश प्रस्तावों की कुल संख्या	77	-
ईएससी-समूहों की संख्या, जो स्वीकृत हैं	07	17
ईडीएफ-वेंचर फंड्स की संख्या जिसमें निवेश किया गया	07	08
ईडीएफ के माध्यम से उद्यम निधि में निवेश की गई राशि	60 करोड़ रु.	60 करोड़ रु.
अनुमोदित/बंद प्रस्ताव		

6.2.1 संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स)

46. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में समस्याओं को दूर करने तथा निवेश आकृष्ट करने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) कार्यान्वयाधीन है। यह योजना मुख्यत: इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए पूंजी व्यय में निवेश हेतु 20-25 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करता है। आवेदन करने के लिए योजना 31 दिसंबर, 2018 तक खुली थी और क्रियान्वयाधीन मोड में है। आवेदन के अनुमोदन होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है।

47.वर्षों तक एम-सिप्स योजना के निष्पादन को निम्नवत् तालिकाबद्ध किया गया है:-

एम-सिप्स 31 दिसंबर, 2018 तक आवेदन के लिए खुली थी। वर्तमान में योजना के अंतर्गत अनुमोदन, सत्यापन और वितरण संबंधित क्रियाकलाप जारी है:-

वर्ष	प्राप्त नए प्रस्तावों की संख्या	प्राप्त प्रस्तावों के निवेश की मात्रा (करोड़ रु.)	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों के निवेश की मात्रा (करोड़ रु.)	पात्र इकाइयों की संख्या जिनके लिए एम-सिप्स के तहत प्रोत्साहन जारी/वितरित किया गया है	पात्र इकाइयों को एम-सिप्स के तहत जारी/वितरित किए गए प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रु.)
2012-13	5	1057.2	0	0	0	0
2013-14	15	4076.70	8	1143.17	0	0
2014-15	26	5834.51	25	6084.20	2	12.05
2015-16	80	19031.88	35	9570.45	3	4.78
2016-17	57	9021.87	26	3143.12	3	16.13
2017-18	43	12871.59	61	11897.15	15	135.89
2018-19	170	56070.36	44	20076.25	53	318.67
2019-20	0	0.00	60	20735.49	24	412.87
कुल	396	107.964.11	259	72649.83	100	900.39

*केवल सक्रिय अनुप्रयोगों पर विचार किया जाता है।

**एक आवेदक एम-सिप्स में कई संवितरण दावे प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संवितरण दावों का विवरण यहां दिया गया है। ये 100 दावे 72 आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

*2019-20 की जानकारी 18 फरवरी, 2020 तक अपडेट की गई है।

6.2.2 इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी) योजना

48. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) विश्व स्तरीय विनिर्माण अवसंरचना को बेहतरीन बनाने के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्लस्टरों दोनों में अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का विकास करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के तहत उद्योग को सहायता दे रहा है। ग्रीनफील्ड ईएमसी में परियोजना के लिए सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक उपलब्ध है जो प्रत्येक 100 एकड़ भूमि के लिए 50 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है। ब्राउनफील्ड ईएमसी के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन अवसंरचना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान के रुप में दिया जाता है। यह योजना 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 21 अक्तूबर, 2017 तक आवेदन करने के लिए खुली थी। अगला 5 वर्ष (अर्थात् अक्तूबर, 2022 तक) अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधि के वितरण हेतु उपलब्ध है।

49. ईएमसी योजना के अंतर्गत पूरे देश के 15 राज्यों में 20 ग्रीनफील्ड ईएससी और 3 सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) मंजूर किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 3565 एकड़ से ज्यादा है और इस परियोजना की लागत 3898 करोड़ रुपए हैं जिसमें सरकारी सहायतानुदान 1577 करोड़ रुपए है। (आंध्र प्रदेश-3, असम-1, छत्तीसगढ़-1, गोवा-1, गुजरात-1, झारखंड-1, केरल-1, मध्य प्रदेश-2, ओडिशा-1, राजस्थान-2, तेलंगाना-2, उत्तर प्रदेश-2, पश्चिम बंगाल-2, महाराष्ट्र-2 (सीएफसी), कर्नाटक 1 (सीएफसी)। आशा है कि इन ईएससी से 54836 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट होगा और एक बार चालू हो जाने के बाद आने वाले वर्षों में लगभग 6.43 लाख रोजगार सृजित होगा।

50. निम्न वर्षों के दौरान ईएमसी योजना का निष्पादन निम्नवत् तालिकाबद्ध किया गया है:-

"ईएमसी योजना 31 अक्तूबर, 2017 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। योजना के अंतर्गत सहायतानुदान का वितरण एक संगत कार्यकलाप हैं।

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	परियोजनाओं के क्षेत्र (एकड़)	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु.)	अनुमोदित सरकारी सहायता अनुदान (करोड़ रु.)	जारी सरकारी सहायता अनुदान (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
2012-13	4	-	-	-	-
2013-14	18	-	-	-	-
2014-15	12	90	85.76	38.62	4.17
2015-16	12	308.89	336.24	151.75	14.19
2016-17	3	1215.25	1390.86	606.17	23.50
2017-18	1	1950.47	2085.60	780.65	222.00
2018-19	0	-	-	-	230.00
2019-20 (17.02.2020 के अनुसार)	0	-	-	-	100.84
कुल	**50**	**3565**	**3898**	**1577**	**595**

*कॉलम नं. 2 प्राप्त 7805 एकड़ के क्षेत्र के साथ आवेदनों की कुल संख्या (50) से संबंधित है।

**उपर्युक्त कॉलम नं. 3 और 4 में 15 राज्यों में 23 स्वीकृत इर्एमसी से संबंधित डेटा शामिल हैं।

51. भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाओं के संबंध में समिति को निम्नवत् सूचना दी गई:-

एक. <u>आईटीए और विश्व व्यापार संगठन</u>: इलेक्ट्रॉनिकी पहला क्षेत्र था जिसे खोला गया और जिसमें बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए शून्य शुल्क व्यवस्था स्वीकार की गई। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते-1 (आईटीए-1) के

हस्ताक्षरकर्ता के रुप में, भारत ने 217 टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क व्यवस्था लागू की है। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) के तहत, इन देशों से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के आयात को एक शुल्क पर अनुमति दी जा जाती है जो सामान्य शुल्क दर से कम है। इस प्रकार, देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए सीमित सुरक्षा है।

दो. इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्द्धा चीन से है जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है और जहां अत्यधिक सब्सिडी का वातावरण है जो काफी हद तक अपारदर्शी है।

तीन. <u>प्रौद्योगिकी परिवर्तन की विविधता और रफ्तार</u>: इलेक्ट्रॉनिकी व्यापक है और सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसलिए, इस सेक्टर के विकास में प्रत्येक सेक्टर के डोमेन ज्ञान शामिल हैं, जो वह कार्य करता है। क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का अर्ध-जीवन काल लगातार कम हो रहा है। वर्तमान में, यह कुछ क्षेत्र में छह महीने से भी कम होने का अनुमान है। इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण में शामिल कंपनियों को नवाचार द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और उनके उत्पादन को अनुकूलित करने और इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला का एक हिस्सा बनने के लिए आरएंडडी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

चार. अन्य विविध कारक निम्नानुसार है:

- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला।
- भारत में वित्त की उच्च लागत (औसत उधार दर 9.5 प्रतिशत है)
- क्रेडिट को पर्याप्त रुप से समेटने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता

52. साक्ष्य के दौरान, एमईआईटीवाई के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:-

".....वैश्विक करारों की समीक्षा करने के मुद्दे पर हम वाणिज्य विभाग और वित्त मंत्रालय के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। आसियान के साथ हुए समझौतों का लाभ उठाते हुए विशेष रुप से वियतनाम से होने वाले भारी आयातों के बारे में हमने अपनी चिंता बताई है। पहले आईटीए-आई के साथ हमें समस्याएं थी जहां अधिकांश पीसी, सर्वर्स, लैपटॉप और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कोई कर लगाए बिना लाने की अनुमति थी। इसलिए, इसमें भी भारतीय ब्रांडों को हानि हुई। यह लगभग 15 या 20 वर्ष

पूर्व हुआ था। हम संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके इनमें से कुछ करारों की फिर से समीक्षा कर रहे हैं।"

53. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र भारत में उत्पादों की प्रमुख आयात श्रेणी बना हुआ है। सरकार से इस प्रवृत्ति को बदलने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने सूचित किया कि आयातों पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध-एक में दिया गया है।

54. भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की वार्षिक मांग और आयातों तथा घरेलू उत्पादन से मांग पूरा करने का प्रतिशत निम्नवत है:-

वर्ष	भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की वार्षिक मांग (आईएनआर करोड़ में)	आयात* के माध्यम से पूरी की गई मांग का प्रतिशत (प्रतिशत)	घरेलू उत्पादन** के जरिए पूरी की गई मांग का प्रतिशत (प्रतिशत)
2015-16	4,26,057	52.1 %	47.9 %
2016-17	5,10,258	45.6 %	54.4 %
2017-18	6,21,797	44.2 %	55.8 %
2018-19	6,95,207	43.0 %	57.0 %
2019-20 (अनुमानित)	7,61,550	38.7 %	61.3 %

*आयात में तैयार इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है।

**घरेलू उत्पादन के आंकड़ों में निर्यात शामिल नहीं है।

नोट: मूल्यांकन में घटक आयात मूल्य पर विचार नहीं किया गया है।

55. भारत में आयात किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की प्रमुख श्रेणियों तथा देश में ऐसे इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत सूचना दी:-

- दूरसंचार उपकरण, नेटवर्किंग उपकरण

- मोबाइल फोन के पुर्जे
- टेलीकॉम उपकरण के पुर्जे
- व्यक्तिगत कम्प्यूटर्स
- अर्धचालक, आईसी, मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक घटक भारत में आयात किए जाने वाले प्रमुख इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर श्रेणियां हैं।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

56. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कई प्रयास किए जाने के बावजूद अभी भी भारत आयात के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की बढ़ती मांग का बहुत बड़ा भाग पूरा कर रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के भावी अनुमानों तथा मंत्रालय की घरेलू उत्पादन को बढ़ाने/बढ़ावा देने की योजना के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:-

"पिछले कुछ वर्षों में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन ने सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों जैसे कि टैरिफ संरचना के यौक्तिकरण, मोबाइल हैंडसेटों और इसके उप-संयोजनों/पुर्जो के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत से मर्केडाइज एक्सपोर्ट्स (एमईआईएस) योजना तथा संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के कारण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात को पीछे छोड़ दिया है। नीचे दी गई तालिका इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन और आयात की जानकारी देती है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। वर्तमान में, कुछ योजनाएं जो एमईआईटीवाई द्वारा बनाई जा रही है, निम्नानुसार है:-

- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई): भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की विशिष्ट श्रेणियों की वृद्धिशील ब्रिक्री का उत्पादन 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस) : इन सामग्रियों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले

इलेक्ट्रॉनिकी घटकों, अर्धचालक, डिस्प्ले, विशेष सब-एसेम्बलीज और पूंजीगत वस्तुओं की पहचानी गई सूची के लिए 25 प्रतिशत का वित्तीय प्रोत्साहन।

- इलेक्ट्रॉनिकी मैन्युफैचरिंग क्लस्टर्स स्कीम (ईएमसी 2.0) बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपयोग के लिए तैयार प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सामान्य सुविधाओं का निर्माण।"

57. वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में राजस्व और रोजगार सृजन तथा 2020-21 के लिए लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

(एक) भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 2017-18 में आईएनआर 3,88,306 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में आईएनआर 4,58,006 करोड़ हो गया और वर्ष 2019-20 के लिए आईएनआर 5,46,550 करोड़ होने का अनुमान है। उद्योग के अनुमान के अनुसार सृजित रोजगार नीचे दिया गया है।

- इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग में प्रत्यक्ष रोजगार लगभग 20 लाख व्यक्तियों का है।
- मोबाइल फोन और उसके पुर्जों/घटकों की विनिर्माण इकाइयों द्वारा लगभग 6.7 लाख व्यक्तियों (प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप) को नियोजित किया जा रहा है।

58. जब यह पूछा गया कि क्या चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी सामानों की उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना है और चीन में विनिर्माण इकाइयों के बंद होने के कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिकी सामानों की संभावित कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर समिति को निम्नवत सूचित किया गया है:-

वर्ष	भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर आयात (घटकों और अर्ध-तैयार माल सहित) (करोड़ रु. में)	चीन से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर का आयात (घटकों और अर्ध-तैयार माल सहित) (करोड़ रु. में)	भारत में शेष दुनिया से इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर का आयात (घटकों और अर्ध-तैयार माल सहित) (करोड़ रु. में)

2015-16	2,68,105	1,48,555	1,19,550
2016-17	2,87,559	1,65,848	1,21,711
2017-18	3,40,901	2,05,086	1,34,815
2018-19	4,01,458	1,59,165	2,42,293
2019-20 (अप्रैल-19 दिसंबर 19)	3,03,501	1,11,406	1,92,095

"वर्तमान में, देश में कुल इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के आयात में से लगभग 37 प्रतिशत आयात चीन से हैं। ये आयात बड़े पैमाने पर घटकों के स्वरुप के है जो उप-संयोजनों और अंतिम उत्पादों का निर्माण करते हैं। चीन में कोरोना वायरस के हालिया प्रकोप के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण इस तरह के घटकों की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, प्रभाव कोरोना वायरस की गंभीरता और निरंतरता पर निर्भर करेगा। वर्तमान में उद्योग संघों और प्रमुख विनिर्माण कंपनियों से यह सुनिश्चित किया गया है कि अगले कुछ हफ्तों के लिए पर्याप्त माल सूची उपलब्ध हो। अन्य देशों से ऐसे घटकों के आयात के स्रोतों का पता लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।"

6.3 साइबर सुरक्षा परियोजना (एनसीसीसी और अन्य)

59. साइबर स्पेस टुडे संचार, सूचना के प्रसार के लिए नागरिकों, नागरिक समाज, व्यवसायों और सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला सामान्य साधन है। इसका उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, हादसे की प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा विशिष्ट आरएंडडी, कानूनी ढांचा और सहयोग को सक्षम करने जैसी कई पहलों का पालन करके देश के साइबर स्पेस को सुनिश्चित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बीई	आरई	एई
2018-19	110.00	110.00	107.48
2019-20	120.00	102.00	58.60

			(31.1.2020 के अनुसार)
2020-21	170.00		

60. वर्ष 2019-20 में 120 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को 2020-21 में पर्याप्तत: बढ़ाकर 170 करोड़ रुपए किए जाने के कारण और बढ़ाए गए आवंटन को कहां उपयोग किए जाने की संभावना है, के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:-

एनसीसीसी परियोजना के लिए स्वीकृत कुल बजट 05 वर्ष की अवधि में 770 करोड़ रु. अनुमोदित एनसीसीसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार आवश्यक बजट के लिए वर्ष वार अनुमान नीचे दिए गए हैं-

वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	कुल
266	126	117	127	134	770

एनसीसीसी परियोजना के लिए बजट आवंटन वित्त वर्ष 2017-18 में ही किया गया था। ऊपर के अनुमानों की तुलना में 2017-18 से 2019-20 के दौरान एनसीसीसी को सहायता अनुदान और राजस्व के अंतर्गत केवल 36 करोड़ रु. (वित्तीय वर्ष 2017-18) 44 करोड़ रु. (वित्त वर्ष 2018-19) और 25 करोड़ रु. (वित्त वर्ष 2019-20) आबंटित किया गया था।

एनसीसीसी के चरण-एक को जुलाई, 2017 में शुरु किया गया है। इस चरण में आईएसपी और संगठनों की 20 साइटों के मेटाडेटा को एकत्र किया जा रहा है और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। चरण-दो स्टेज 1 को वर्ष 2019-2020 के दौरान शुरु करने के लिए लक्षित किया गया है और अतिरिक्त 15 दूरस्थ स्थानों से मेटाडेटा का संग्रह और विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान में सर्ट-इन परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है। एनसीसीसी चरण-दो कार्यान्वयन शुरु हो गया है। वर्तमान में कार्यालय का नवीनीकरण चल रहा है। एनसीसीसी के लिए प्राथमिक के साथ-साथ आपदा समुत्थान स्थल के लिए डेटा सेंटर सह-स्थान सेवाओं को प्राप्त किया जाएगा।

अगले वर्ष के बजट में अतिरिक्त 40 साइटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजट मुख्य रुप से आईटी बुनियादी ढांचे की वस्तुओं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद और डेटा सेंटर सह-स्थान सेवाओं सहित स्थान के लिए आवश्यक होगा, जैसा कि उल्लेख किया गया है।''

61. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) के बारे में जानकारी देने तथा एनसीसीसी की स्थापना की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:-

"सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा खतरों के वास्तविक समय स्थूल विचारों के निकट उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र देश में साइबर स्पेस को मेटाडेटा स्तर पर स्कैन करेगा और वास्तविक समय के निकट स्थितिजन्य जागरुकता पैदा करेगा। एनसीसीसी एक बहु हितधारक निकाय होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन अनुक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रस्तावित केंद्र साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए साइबरस्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच एक संरचित प्रणाली प्रदान करेगा और समन्वय स्थापित करेगा।

एनसीसीसी के चरण-एक को जुलाई, 2017 में प्रचालित किया गया है। इस चरण में आईएसपी और संगठनों की 20 साइटों के मेटाडेटा को एकत्र किया जा रहा है और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। चरण-दो स्टेज 1 को वर्ष 2019-2020 के दौरान परिचालन के लिए लक्षित किया गया है और अतिरिक्त 15 दूरस्थ स्थानों से मेटाडेटा का संग्रह और विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त वर्ष 2016 में कुल 65 पद (60 एसएंडटी और 5 गैर-एसएंडटी) स्वीकृत किए गए। इनमें से 26 पद भरे गए हैं (23 एसएंडटी और 3 गैर-एसएंडटी), शेष पदों के लिए भर्ती अभी चल रही है।"

62. यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय द्वारा पहली बार एनसीसीसी की स्थापना पर विचार कब किया गया, पूरी तरह कार्यरत एनसीसीसी की स्थापना की समय-सीमा क्या थी और यह सर्ट-इन से कैसे भिन्न होगा, के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नवत् जानकारी दी गई:-

"एनसीसीसी का उद्देश्य मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरुकता पैदा करना और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए हितधारकों के बीच समय पर सूचना साझा करने में सक्षम बनाना है।

कुल 770 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एनसीसीसी की स्थापना के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना 5 वर्षों की अवधि के लिए थी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद अप्रैल, 2015 में शुरु की गई थी।

चरण-1 में, खतरा और स्थितिजन्य जागरुकता (थ्रेट सिचुएशनल अवेयरनेस) (एनसीसीसी परीक्षण स्थल) पर परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। एनसीसीसी के चरण-1 को जुलाई, 2017 में प्रचालित किया गया है।

एनसीसीसी को पूरे पैमाने पर अपेक्षित धन और जनशक्ति की उपलब्धता के साथ 2022 के अंत तक प्रचालित करने की परिकल्पना की गई है।

सर्ट-इन घटना अनुक्रिया संबंधी गतिविधियां करता है और साइबर सुरक्षा खतरों पर सलाह और चेतावनी जारी करता है। एनसीसीसी एक बहु-हितधारक परियोजना है जो अपने हित के अनुसार संबंधित हितधारकों द्वारा कार्यों के लिए मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के लिए आवश्यक स्थितिजन्य जागरुकता पैदा करने के लिए है। सर्ट-इन एनसीसीसी के हितधारकों में से एक है।''

63.साक्ष्य के दौरान एमईआईटीवाई के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:-

''.....सर्ट-इन के कार्यों का प्रमुख घटक एनसीसीसी है। सर्ट-इन अधिकतर निगरानी कार्य करता है, सलाह देता है, आदि। एनसीसीसी अधिकांशत: सक्रिय रुप से क्या घट रहा है, पर निगरानी करता है और इसके बाद सूचना साझा करता है और तथा प्रतिक्रिया करता है। इसलिए, यह हमारी भूमिका है। साइबर अपराध जैसे कुछ बड़ी बाते हैं जो जनता सामान्यत: एमईआईटीवाई पर डालती हैं तो सही नहीं है। साइबर अपराध पर कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसी तरह 14सी भी गृह मंत्रालय का अंग है लेकिन हम सभी और हमारी टीम दिन-प्रतिदिन के कार्यों में उनमें साथ निकटता से शामिल हैं।''

6.4 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)

64. सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण घरों (प्रति घर एक व्यक्ति) को कवर करते हुए ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता शुरु करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटिल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) नामक एक योजना अनुमोदित की है। यह माननीय वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय बजट 2016-17 में की गई घोषणा के अनुसार है। समान भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुल 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक से औसतन 200-300 अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रत्याशा है। इस योजना में मुख्यत: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के प्रयोग पर लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है। परिणाम मापन मानक में प्रत्येक लाभार्थी द्वारा यूपीआई (भीम एप सहित), यूएसएसडी, पीओएस, एईपीएस कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके कम से कम 5 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना शामिल है। इस योजना का कुल परिव्यय 2351.38 करोड़ रुपए (लगभग) है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रुप में इसका कार्यान्वयन सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सक्रिय सहयोग से सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नामक कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। पीएमजी दिशा योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2019 तक कुल 3.19 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है, इसमें से 2.56 करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें से 1.88 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रमाणपत्र दिया गया है।

65. पीएमजीदिशा के अंतर्गत आवंटन वर्ष 2019-20 में 518 करोड़ रुपए से घटाकर वर्ष 2020-21 में 400 करोड़ कर दिया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान वास्तविक निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि एवं वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत सूचना दी:-

(आंकड़े करोड़ में)

2018-19			2019-20			2020-21
वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि		वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि		वास्तविक लक्ष्य
	प्रशिक्षित	प्रमाणित		प्रशिक्षित	प्रमाणित	
3.00	0.99	0.66	1.75	0.96	0.74	3.00

66. पीएमजीदिशा योजना में 2019-20 के बजट अनुमान चरण में 518 करोड़ रुपए से संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 400 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने के कारणों के बारे में मंत्रालय ने सूचित किया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संशोधित अनुमान चरण में बजटीय आवंटन में कमी किए जाने के कारण पीएमजीदिशा के लिए संशोधित अनुमान चरण में बजटीय आवंटन में कमी की गई।

67. पीएमजीदिशा योजना के बजट कटौती के बारे में सचिव, एमईआईटीवाई ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

> "कुल 1175 करोड़ रुपए से हमें प्रतिवर्ष 3 करोड़ लोगों को शामिल करने में सहायता मिलती है। यह हमें लगभग 3 करोड़ परिवारों को डिजिटली साक्षर बनाने में सहायता करता है। यदि हमें 400 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो हम प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ लोगों को साक्षर कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ परविार हैं और इसमें से हमने वर्तमान में 40 प्रतिशत या 6 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा है।.....जो हम दो वर्ष में कर सकते थे, हम इसे 6 वर्षों में कर पाएंगे। वास्तव में मंत्रिमंडल ने दो वर्षों में 6 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए योजना अनुमोदित की थी।"

7. विविध

7.1 राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति

68. भारतीय आईटी उद्योग मुख्य रुप से एक सेवा उद्योग रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी उन्मुख उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई है। वर्तमान में, ग्लोबल सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग अनुमानत: 413 बिलियन अमरीकी डॉलर का है, जिसमें भारत का हिस्सा केवल 7.1 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसमें 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात भी शामिल है। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर उत्पादों का आयात लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इसलिए, भारत सॉफ्टवेयर उत्पादों का शुद्ध आयातक है। इसलिए, मुख्य रुप से सेवा उन्मुख भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग को एक प्रौद्योगिकी उन्मुख उत्पादों और सेवा उद्योग में बदलने के लिए एक अनुकूल सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थतिकी तंत्र विकसित करना समझदारी है। आईटी उद्योग के बदलते प्रतिमान के

साथ, विकास और नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता उभरी है।

69. आईटी उद्योग के समग्र विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी, 2019 को सॉफ्टवेयर उत्पाद संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2019 को मंजूरी दी है, जो एक मजबूत सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार, शिक्षा और उद्योग के प्रयासों से तालमेल बनाएगा, जो बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए सुखद स्थितियां उत्पन्न करेगा, आरएंडडी और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले एक पारस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देगा जो पूंजी तक पहुंच के अनेक अवसर सृजित करता है और भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रुप में विकसित करने के लिए घरेलू मांग के निर्माण और जिसमें सुधार में मदद करता है। योजना के अंतर्गत उद्देश्य और विभिन्न पहलों की स्थिति अनुबंध-दो में दी गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस नीति के हस्तक्षेप के माध्यम से सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग का विकास ~40 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है ताकि 2025 तक यूएसडी 70-80 बिलियन तक पहुंच जाए और 2025 तक 3.5 मिलियन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो।

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

बजट विश्लेषण

1. समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के लिए, 11023.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का बजट आवंटन 6899.03 करोड़ रुपए है जिसमें राजस्व खंड के अंतर्गत 6523.03 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 375 करोड़ रुपए शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 12059.39 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में, बजट आवंटन 6654.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 5839.46 करोड़ रुपए कर दिया गया तथा 31 जनवरी, 2020 तक वास्तविक उपयोग 4610.95 करोड़ रुपए था। मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि और आवंटित राशि के मध्य दोनों वर्षों में बहुत अंतर देखने को मिला है। 2019-20 के दौरान, बजट अनुमान (ब.अ.) आवंटन प्रस्तावित राशि का 55.17 प्रतिशत था और 2020-21 के दौरान, बजट अनुमान (ब.अ.) आवंटन प्रस्तावित राशि का 62.59 प्रतिशत था। जब 2020-21 में बजट अनुमान स्तर पर 11023.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन में भारी कटौती कर इसे 6899.03 करोड़ रुपए किए जाने के बारे में पूछा गया, मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय सामान्यतः चल रही योजनाओं के बजटीय प्रावधान को 5 से 7 प्रतिशत बढ़ाने की नीति का पालन करता है। योजना हेतु किया गया प्रावधान जो कि 2019-20 के बजट अनुमान में 3750.76 करोड़ रुपए का था उसमें लगभग 5.5 प्रतिशत की वृद्धि कर 2020-21 के बजट अनुमान में 3958 करोड़ रुपए कर दिया गया। नई योजनाओं/परियोजनाओं के अनुमोदन, सरकार की नई नीतियों के कार्यान्वयन आदि मामलों में आवंटन में वृद्धि की जाती है। सामान्यतः प्रस्तावित और अनुमोदित व्यय अनुमानों के मध्य अंतराल होता है और मंत्रालय स्तर पर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि निधियों का आवंटन सर्वप्रथम प्रतिबद्ध/परिचलनात्मक व्यय हेतु किया जाए जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है और तत्पश्चात् शेष निधियों को योजनाओं/परियोजनाओं की प्राथमिकता, वित्त मंत्रालय के विशेष आदेशों, आदि के आधार पर उनके मध्य इस तरह से वितरित किया जाता है कि योजनाएं/परियोजनाएं अति न्यून प्रतिकूल प्रभाव के साथ सतत् रुप से कार्यान्वित की जा सकें और यदि आवश्यक हो, तो वित्त मंत्रालय

से योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु संशोधित अनुमान (सं.अ.) स्तर पर अतिरिक्त निधियों के आवंटन के लिए भी आग्रह किया जा सकता है।

हालांकि, समिति यह समझती है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को निधियों के आवंटन के समय वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और सामान्यतः प्रस्तावित और अनुमोदित व्यय में अंतर होता है। प्रस्तावित व्यय और अनुमोदित व्यय के मध्य अधिक अंतर चिंता की बात है क्योंकि मंत्रालय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के संबंध में संसाधनों के अभाव को एक बड़ी सीमा/बाधा मानता रहा है । जब मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि में वित्त मंत्रालय द्वारा लगभग आधी कटौती की जाती है तब तक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं में प्राथमिक आधार पर प्रतिबद्ध/परिचलनात्मक व्यय किया जाता है जिससे मंत्रालय द्वारा योजनाओं/प्रथमिकता क्षेत्रों के मध्य पुन: आवंटन की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसके परिणामस्वरुप मंत्रालय की कुछ योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है। एमईआईटीवाई सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का कार्यान्वयन कर रहा है और बजट में ऐसी भारी कटौती से उनकी कार्यान्वयन सूची/समय-सीमा प्रभावित होती है जिसे वास्तविक संभाव्यता और पर्याप्त योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि मंत्रालय 100 प्रतिशत व्यय करने के लिए आशान्वित है और उनमें व्यय करने की क्षमता है, समिति सिफारिश करती है कि उनके द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत की गई मांग को वित्त मंत्रालय द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए और योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन/क्रियान्वयन हेतु उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

<u>बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति</u>

2. समिति नोट करती है कि 31 दिसंबर, 2019 तक, 398.62 करोड़ रुपए की राशि के कुल 150 उपयोग प्रमाणत्र बकाया थे। इसके अलावा, समिति नोट करती है के एमईआईटीवाई विभिन्न परियोजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चत करने के लिए समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रहा है जो यह भी सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी अनुदानों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, सचिव (एमईआईटीवाई)/एएसएंडएफए विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए समय समय पर उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) की समीक्षा करते हैं।

01.04.2019 के अनुसार 987.55 करोड़ रुपए की राशि के 305 उपयोग प्रमाणपत्र लंबित है जो 03.02.2020 तक घटकर 141 रह गए जिसकी राशि 319.85 करोड़ रुपए है। यह स्पष्ट है कि लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या 305 से घटकर 141 रह गई है और संबंधित राशि में काफी हद तक कमी आई है अर्थात् पिछले दस महीनों के दौरान 68 प्रतिशत की कमी आई है।

उपयोग प्रमाणपत्रों के परिसमापन और अनुदान ग्राही संस्थानों के साथ खर्च नहीं किए गए शेयरों को कम करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि किसी भी उपयोग प्रमाणपत्र के बकाया को दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय किए जाने चाहिए जिससे किसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं हेतु अनुवर्ती अनुदानों को जारी करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और मंत्रालय को अनुदानग्राही संस्थानों के साथ नियमित रुप से अनुवर्ती कार्य करना चाहिए।

<u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

3. समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, बजट अनुमान स्तर पर मंत्रालय द्वारा आईईबीआर हेतु 1108.47 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 1160.77 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसकी तुलना में, एमईआईटीवाई के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटियों ने 1291.00 करोड़ रुपए का आईईबीआर लक्ष्य हासिल किया जो कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों स्तरों पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों से अधिक है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान, सोसाइटियों के लिए बजट अनुमान स्तर पर मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में 1248.89 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, संशोधित अनुमान स्तर पर यह लक्ष्य थोड़ा सा बढ़कर 1260.42 करोड़ रुपए हो गया और 31.12.2019 तक 1385.75 करोड़ रुपए की उपलब्धियां रही हैं। यह संतोष की बात है कि 2018-19 और 2019-20 दोनों वर्षों में, मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटियों ने अपने आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) हेतु बजट अनुमान स्तर पर तय किए गए समग्र लक्ष्यों से बढ़ाकर पूरा किया है। समिति यह भी नोट करती है कि 2019-20 के दौरान, आईईबीआर उपलब्धियां 1485.75 करोड़ रुपए रही है जो कि 7902.89 करोड़ रुपए के अनुमोदित कुल परिव्यय का लगभग 18.80 प्रतिशत है और शेष 81.20 प्रतिशत सरकारी अनुदानों के माध्यम से है। यद्यपि, जब प्रत्येक सोसाइटी के लिए निर्धारित किए गए व्यक्तिगत लक्ष्य की बात होती है, समिति नोट करती है कि सी-डैक को छोड़कर जिसका आईईबीआर लक्ष्य

सराहनीय रुप से अधिक रहा, एनईआईएलाआईटी, ईआरएनईटी, एसटीपीआई/ईएचटीपी और समीर के संबंध में उपलब्धियां संतोषजनक नहीं रही है। समिति को बताया गया कि नेशनल सुपरकम्प्यूटिंग मिशन के अंतर्गत, सी-डैक ने मंत्रालय और डीएसटी से 586 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, सी-डैक को अन्य संगठनों/संस्थानों तथा पीएसयू से भी परियोजनाएं मिली हैं। समिति यह आशा करती है कि स्वायत्त संगठन के अंतर्गत आईईबीआर उपलब्धियों में आने वाले महीनों में सुधार होगा तथा यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपने द्वारा राजस्व सृजन हेतु साथ-साथ नए क्षेत्रों के परिचालन की पहचान करनी चाहिए तथा सरकारी अनुदानों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए मंत्रालय को कुल परिव्यय में आईईसीआर घटक के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)-सरकारी तत्काल संदेश सेवा (जीईएमएस) का विकास</u>

4. समिति नोट करती है कि सरकार के अंतर्गत तत्काल संदेश देने हेतु जीआईएमएस एनआईसी द्वारा विकसित किया गया एक ओपन सोर्स, सुरक्षित, क्लाउड समर्थ तथा स्वदेशी प्लेटफार्म है। इसमें मोबाइल एप और एक पोर्टल शामिल है। एप विभिन्न स्तरों पर सरकार के आंतिरक और बाह्य संचार के लिए है और जिसे अन्य सरकारी एप के साथ संदेश देने और जोड़ने के प्रबंधन के लिए समनुरुप बनाया जा सकता है। प्रबंधन पोर्टल संगठन और कार्यरत कर्मचारियों, आधिकाधिक समूह प्रबंधन, डैशबोर्ड और एनालिटिक्स के लिए है। जीआईएमएस एनडीसी शास्त्री पार्क से संचालित होता है और एन्ड्रायड तथा आईओएस वर्जन https://gmims.nic.in पर उपलब्ध है। जीआईएमएस की विशेऐताओं में वन टू वन (एक से दूसरे को) और समूह संदेश, एंडटूएंड इन्क्रिप्शन, ईजीओवी एप्लिकेशन जैसे कि एनआईसी मेल, डिजि लॉकर के साथ एपीआई आधारित एकीकरण। जीआईएमएस ई-ऑफिस से एलर्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त करने, एप्लिकेशन सुरक्षा, एनआईसी सीआईआरटी, एनआईसी सीईआरटी, एनआईसी एचआरएमएस, डय़ूटी पोर्टल आदि के लिए आधिकारिक संचार चैनल है। इसमें इन्क्रिप्टेड बैकअप सुविधा और चैटबोट समर्थ इंस्टेंट डैशबोर्ड सेवाओं के साथ इंस्टेंट प्रतिपुष्टि तंत्र है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि जीआईएमएस बीटा परीक्षण चरण में हैं और अधिकतम विभाग इसके पीओसी में भागीदारी कर रहे हैं। उनसे प्रतिपुष्टि प्राप्त की जा रही है और सुधार हेतु उसे समाविष्ट किया जा रहा है। आंतरिक और बाह्य सरकारी संचार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तत्काल संदेश के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के मंत्रालय की पहलों की सराहना करते हुए, समिति विद्यमान मैसेंजरों जैसे कि व्हाट्एसएप जो

कि विदेशी इकाइयों द्वारा नियोजित और संचालित किया जाता है और इसमें आंतिरक और बाह्य सरकारी संचार हेतु सीमित सुविधाओं का विकल्प है, के स्थान पर सुरक्षित, विश्वसनीय और आसान विकल्प प्रदान करने के लिए जीआईएमएस को शीघ्र शुरु किए जाने हेतु सभी उपाय किए जाने की सिफारिश करती है। समिति जीआईएमएस के पूर्ण रुप से कार्यरत होने की संभावित अवधि से भी अवगत होना चाहती है।

<u>साइबर सुरक्षा (सीआईआरटी-इन), एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस-एजेंसियों के मध्य तालमेल और साइबर सुरक्षा हेतु समेकित निधि की आवश्यकता।</u>

5. समिति नोट करती है कि 2019-20 में साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन), एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस 42.00 करोड़ रु. से बढ़कर 2020-21 में 140.00 करोड़ रु. हो गया। आवंटन में वृद्धि एनसीसीसी परियोजना के लिए आवर्ती व्यय (गैर-योजना) हेतु निधियों के आवंटन के अतिरिक्त सीईआरटी-इन में परिचालनात्मक व्यय की आवश्यकता के कारण है। इसके अलावा, अब आवंटित निधियों में पूंजीगत (मशीनरी और उपकरण) लागत व्यय भी शामिल है जो कि पहले एक पृथक बजट शीर्ष था और जिसका अब इस एकल शीर्ष में विलय कर दिया गया है। अतः वास्तविक वृद्धि 90 करोड़ रु.(2019-20) से बढ़कर 140 करोड़ रु. (2020-21) हो गई है। इस बढ़े हुए आवंटन का उपयोग सीईआरटी-इन के आईसीटी अवसंरचना में वृद्धि करने और जनबल प्रशिक्षण में किया जाएगा। सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा सेंध और साइबर सुरक्षा खतरों के बढ़ते दायरे को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना हेतु कदम उठाए हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में साइबर सुरक्षा प्रमुख चिंता का विषय बनने जा रहा है जिसमें महत्वपूर्ण संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता होगी, समिति सिफारिश करती है कि साइबर सुरक्षा एजेंसियों/कार्यक्रमों के निधियन हेतु विविध/पृथक बजटीय शीर्ष हेतु मंत्रालय समेकित निधि पर विचार कर सकता है जिसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी पहलू को शामिल हों। समेकित निधि का इस्तेमाल साइबर सुरक्षा परियोजनाओं (एनसीसीसी एवं अन्य) जैसी योजनाओं में किया जा सकता है जिसमें प्रस्तावित एनसीसीसी की स्थापना करने के साथ-साथ सीईआरटी-इन जैसे विद्यमान संगठनों के परिचलनात्मक व्यय को पूरा करना शामिल है। समिति यह भी आशा करती है कि दो संस्थानों अर्थात् मौजूदा सीईआरटी-इन और प्रस्तावित एनसीसीसी को एक दूसरे के पूरक के रुप में पूर्ण रुप से जोड़ा जाए और भारतीय साइबर क्षेत्र में

उभरे खतरों का प्रभावशाली रुप से सामना करने के लिए निर्बाध सुरक्षा ढांचा उपलब्ध कराया जाए। समिति ने हाल में साइबर सुरक्षा के अत्यंत प्रचारित उल्लंघनों के ऊपर सावधान भी किया है और आग्रह किया है कि ऐसे खतरों से देश की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक बजटीय आवंटनों सहित तीव्रगामी उपाय किए जाएं।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निधियों की कमी के कारण प्रभावित योजनाएं।</u>

6. समिति नोट करती है कि भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन हेतु तैयार करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया कार्यकम तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केद्रित है अर्थात् (एक) प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रुप में डिजिटल अवसंरचना (दो) मांग आधारित प्रशासन और सेवाएं और (तीन) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इस तथ्य को ध्यान रखा जाए कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य वृद्धि के नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर - (एक) ब्रॉडबैंड हाइवेज (दो) मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सार्वभौमिक पहुंच (तीन) पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम (चार) ई-गवर्नेंस (पांच) ई-क्रंति (छह) सभी के लिए सूचना (सात) इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण (आठ) नौकरियों हेतु आईटी और (नौ) अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम पर ध्यान देना है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक घटक के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाएं। तथापि, समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटन के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित निधियों की आवश्यकता पर विचार नहीं किया। समिति नोट करती है कि 2018-19 में, मंत्रालय ने 5880.00 करोड़ रु. प्रस्तावित किया था जबकि केवल 3073.00 करोड़ रु. का आवंटन किया गया और वास्तविक उपयोग 3328.54 करोड़ रु. था। इसी प्रकार, 2019-20 में, 79931.14 करोड़ रु. की प्रस्तावित राशि की तुलना में, वास्तविक आवंटन 3750.76 करोड़ रु. था और 31.01.2020 तक वास्तविक उपयोग 2453.68 करोड़ रु. था। 2020-21 में भी, 6940.00 करोड़ रु. की प्रस्तावित राशि की तुलना में, मंत्रालय को 3958.00 करोड़ रु. की कम राशि आवंटित की गई है।

पीएमजीदिशा और इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में निधियों की बढ़ती हुई आवश्यकता के साथ-साथ समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी

योजना है, के लिए अधिक आवंटन करने के लिए जोर डाले ताकि निधियों की कमी के कारण उप-योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव न पड़े।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम-योजनाओं के नियमित मूल्यांकन/निगरानी की आवश्यकता</u>

7. समिति नोट करती है कि जब मंत्रालय से 2015-16 से 2019-20 के दौरान उन योजनाओं के बारे में पूछा गया जिनसे सबसे अधिक प्रगति हुई तथा जिनमें सबसे कम प्रगति हुई, मंत्रालय ने बताया कि ऐसा कोई मूल्यांकन न तो नीति आयोग द्वारा अथवा न ही इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आर्थिक योजना प्रभाग द्वारा किया गया है। हालांकि, नीति आयोग के परामर्श से वर्तमान में एक तृतीय पक्ष का मूल्यांकन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संसदीय प्राक्कलन समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित कई विषयों को जांच हेतु लिया है। समिति ने एमईआईटीवाई के संबंध में "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की समीक्षा" विषय को अध्ययन के लिए चुना है।

समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के चार वर्ष बाद भी मंत्रालय ने अपनी योजनाओं की व्यापक समीक्षा नहीं की है और अपनी योजनाओं के सापेक्षिक निष्पादन को मापने के लिए 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की समीक्षा' विषय पर संसदीय प्राक्कलन समिति द्वारा थर्ड पार्टी के मूल्यांकन और जांच पर विश्वास कर रहा है। इसलिए समिति जारी योजनाओं के समय पर और व्यापक मूल्यांकन की सिफारिश करती है ताकि किसी योजना के अपने अभीष्ट उद्देश्यों से भटक जाने की स्थिति में मंत्रालय सुधार की कोई पहल/उपचारात्मक उपाय कर सके।

<u>डिजिटल लॉकर सिस्टम -प्रचार और उपयोग</u>

8. समिति नोट करती है कि डिजिटल लॉकर सिस्टम या डिजिलॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन करने का एक मंच है जिससे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग समाप्त हो जाता है। डिजिलॉकर ने डिजिटल वॉलेट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल प्रारूप में पहचान, शिक्षा, परिवहन, वित्त और नगरपालिका संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रदान करने का प्रयास किया है। जारीकर्ताओं के साथ संपर्क करने, उनके दस्तावेजों को डिजिटाइज करने और अंततः इन डिजिटल दस्तावेजों को नागरिकों के बीच वितरित करने में मदद करने के महती कार्य के परिणामस्वरूप 373 करोड़ से अधिक प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों की उपलब्धता संभव हुई है। अगला कदम यह है कि नागरिकों को सेवाएं देते

समय इन दस्तावेजों को सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाया जाए। डिजिटल लॉकर सिस्टम में 3.59 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और हर महीने औसतन 2 करोड़ प्रामाणिक दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रति दिन औसतन 30,000 नागरिक साइन अप कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों और जारी करने वाले विभागों में यूआईएडीआई द्वारा जारी आधार, एमओआरटीएच द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन पंजीकरण, एमओपीएनजी द्वारा जारी एलपीजी उपभोक्ता वाउचर, सीबीडीटी द्वारा पैन सत्यापन के रिकार्ड्स, लगभग 20 राज्यों के ई-डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट्स, लगभग चार राज्यों के भूमि से संबंधित अभिलेख शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी डिजीलॉकर को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी)एनएडी (बनाने की स्वीकृति दे दी है। तथापि, सेवा परिदान हेतु डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न नियामक तंत्रों के संबंधित अधिनियमों और नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता है। डिजिलॉकर प्रणाली के प्रसार में बाधा डालने के प्रमुख कारणों में केंद्रीय डिजिटलीकरण अधिदेश की कमी, डिजिटल दस्तावेज स्वीकार करने के लिए नियामक ढांचे में प्रावधानों का अभाव, सेवाएं प्रदान करने के विषय पर सरकारी विभागों में दस्तावेजों के डिजिटल उपयोग की प्रवृत्ति का अभाव तथा सरकारी विभागों और नागरिकों के बीच डिजिलॉकर के उपयोग के प्रति जागरूकता का अभाव शामिल हैं। समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने डिजिलॉकर से उपलब्ध दस्तावेजों को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए डिजिटल लॉकर नियम, 2016 तथा आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित इसके नियम 9क, 2017 के संशोधन जैसे कदम उठाए हैं। एमईआईटीवाई ने इस सुविधा के संवर्धन और प्रभावी उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम किया है। एमईआईटीवाई डिजिलॉकर आधारित डिजिटल दस्तावेज लेनदेन प्रणाली को अपनाने के लिए ट्राई, इरडा, सेबी, ईसीआई आदि जैसे नियामक प्राधिकरणों के साथ भी संपर्क में है, जो बाद में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगी।

समिति का मानना है कि डिजिलॉकर एक महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस पहल है लेकिन आज तक केवल 3.59 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ, इसकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हो सका है। डिजिटल लॉकरों के अपनाए जाने को बढ़ावा देने और हर जगह मूल दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता को दूर करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति यह महसूस करती है कि नागरिकों को सेवाएं देते समय सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा डिजिटल दस्तावेजों

की खपत को बढ़ावा देना अगली बड़ी चुनौती है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिनियमों/नियमों में सुधार/संशोधन की आवश्यकता होगी। मंत्रालय की इस पहल से सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भंडारण और उपयोग समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। समिति एक डिजिटल ईकोसिस्टम के निर्माण की सिफारिश करती है जो सभी क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति को बढ़ावा दे। नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर इसे अपनाए जाने के लिए डिजिलॉकर का उचित प्रचार भी किया जाए। इस संबंध में उठाए गए कदम से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>राज्य डाटा केंद्र)एसडीसी(</u>

9. वर्ष 2019-20 के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में तीन एसडीसी को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया था जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। समिति को यह भी बताया गया कि 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश और झारखंड में एसडीसी को चालू घोषित किया गया, 2017-18 के दौरान गोवा और पंजाब में एसडीसी को चालू घोषित किया गया और 2018-19 में उत्तराखंड और असम के लिए डाटा सेंटर ऑपरेटर (डीसीओ(का चयन कर लिया गया है। आज की तारीख में 29 राज्य डाटा सेंटर (एसडीसी) को चालू घोषित कर दिया गया है और तीन लंबित संचालित होने वाले (एसडीसी) में से असम एसडीसी के 31 मार्च, 2020 तक चालू होने की उम्मीद है। समिति को आशा है कि असम में एसडीसी जल्द चालू हो जाएगा। तथापि, समिति अरुणांचल प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में एसडीसी की स्थापना की प्रगति को देखकर निराश है। अरुणाचल प्रदेश में अभी डीसीओ का चयन नहीं हुआ है। जबकि 28 अगस्त 2019 को खोले जाने वाले जीईएम पोर्टल पर एसडीसी बोली मंगाई गई थी, किसी भी वेंडर ने इसमें भाग नहीं लिया और बोली को पुन :रद्द कर दिया गया। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में निष्पादन नहीं होने के कारण डीसीओ को समाप्त कर दिया गया। वे पुन: नए सिरे से आरएफपी ला रहे हैं।

यह नोट करते हुए कि डेटा केंद्र सेवाओं, अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, समिति सिफारिश करती है कि शेष राज्यों/केंद्रों में राज्य डेटा केंद्रों की तेजी से स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं ताकि वे सामान्य सेवा वितरण प्लेटफार्मों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान कर सकें।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा</u>

10. समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के लिए ब.अ .आवंटन 986.00 करोड़ रुपये था जिसे सं.अ. चरण में घटाकर 690.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था और 31.01.2020 को वास्तविक व्यय 501.54 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के लिए 1545 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले 980.00 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। समिति को बताया गया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है और यह 2016-17 के 5,10,258 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 के दौरान 6,21,797 करोड़ रुपये हो गई तथा 2018-19 के दौरान यह 6,95,207 करोड़ रुपये रही। वर्ष 2018-19 के दौरान घरेलू उत्पादन के माध्यम से 57% मांग पूरी की गई जबकि शेष 43% आयात के माध्यम से पूरी की गई जो 2018-19 के दौरान भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिकी आयात के आंकडे के 2,98,939.01 करोड़ रुपये के चौंकाने वाले स्तर तक पहुंचाता है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी संबंधित राष्ट्रीय नीति 2019, 100 प्रतिशत एफडीआई, संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना और इलेक्ट्रॉनिकी विकास कोष (ईडीएफ) चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम)पीएमपी), टैरिफ ढांचे का युक्तिकरण, मेक इन इंडिया को वरीयता आदि जैसे कई कदम उठाए हैं जिससे स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन प्राप्त हो। समिति इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त पहलों के कारण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात की सीमा से अधिक का हो गया है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 2017-18 के 3,88,306 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 5,46,550 करोड़ रुपये का हो गया।

उपरोक्त आंकड़ों पर ध्यान देते हुए, जो कि सही दिशा में प्रगति की ओर इशारा करता है, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह इन उपायों को जारी रखे और उसे कायम रखे ताकि इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सके और अन्य देशों से इलेक्ट्रॉनिकी के आयात पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके।

<u>संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस)</u>

11 .समिति नोट करती है कि देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जुलाई 2012 में एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना)एम-एसआईपीएस) की गई थी ताकि असमर्थता को दूर किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग में निवेश को आकर्षित किया जा सके। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए -

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में निवेश के लिए 20 प्रतिशत और गैर-एसईजेड में 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है। प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों तथा संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले घटकों के 44 वर्गों/श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं। इस योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद श्रेणियों को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त, 2015 में इसमें संशोधन किया गया है। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी, 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। एम-एसआईपीएस योजना आवेदन प्राप्त करने के लिए 3 दिसंबर 2018 तक खुली थी और अब कार्यान्वयन के चरण में है। आवेदन के अनुमोदन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए योजना के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। फरवरी 2020 तक एमएसआईपीएस के अंतर्गत 1,07,964.11 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 396 सक्रिय आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से 72,649.83 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 259 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। एमएसआईपीएस के अंतर्गत प्रोत्साहन के संवितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अभी तक 72 आवेदकों को 900.39 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन संवितरित किए गए हैं। समिति यह नोट करती है कि 2012-13 से 2015-16 तक मंत्रालय को प्राप्त नए प्रस्तावों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई और उसके बाद 2016-17 से 2017-18 तक इसमें गिरावट आई। 2018-19 के दौरान, योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने के अंतिम वर्ष में नए प्रस्तावों की प्राप्ति 170 तक पहुंच गई थी।

समिति यह नोट करने के लिए मजबूर है कि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निपटान की गति बहुत धीमी रही है। आवेदकों के लिए योजना 31 दिसंबर, 2018 तक खुली थी और 2012-13 से लगभग 400 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हलांकि, फरवरी, 2020 तक अर्थात् आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 14 माह बाद तक मंत्रालय द्वारा लगभग 35,314.28 करोड़ रुपए के निवेश के 137 प्रस्तावों को अभी मंजूर किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान रखकर कि इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों की आधी मियाद लगातार घट रही है और कतिपय श्रेणियों में छह माह से भी कम होने का अनुमान है इसलिए यह अत्यावश्यक है कि निवेश संबंधी प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाया जाए। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं के अनुमोदन में विलंब से संपूर्ण परियोजना अव्यवहार्य हो सकती है और विनिर्माता विनिर्माण सुविधा लगाने के लिए कहीं और स्थान देखने को मजबूर हो सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि संवर्धित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) के अंतर्गत लंबित आवेदनों की निपटान प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि त्वरित गति से प्रोत्साहन मिले जिसके अभाव में योजना का उद्देश्य ही

समाप्त हो जाएगा। समिति लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति, प्रस्तावों के अनुमोदन में लगने वाले औसत समय से भी अवगत होना चाहेगी।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी) योजना</u>

12. समिति नोट करती है कि विश्व-स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सहायता देने तथा ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड क्लस्टरों दोनों में निवेश आकृष्ट करने हेतु सामान्य सुविधाएं देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना 22 अत्तूबर, 2012 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 21 अत्तूबर, 2017 तक आवेदन करने हेतु खुली थी। अगले 5 वर्ष की अवधि (अत्तूबर, 2020 तक) अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधि संवितरण हेतु है। ग्रीनफीड ईएमसी में परियोजना हेतु सहायता परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक उपलब्ध है जो प्रत्येक 100 एकड़ भूमि के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन है। ब्राउनफील्ड ईएमसी के लिए अवसंरचना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान के रुप में दिया है जो अधिकतम 50 करोड़ रुपए होगा। योजना के अंतर्गत पूरे देश के 15 राज्यों में 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केद्रों (सीएफसी) को मंजूर किया गया और इसका कुल क्षेत्रफल 3565 एकड़ है जिसकी कुल परियोजना लागत 3898 करोड़ रुपए है जिसमें 1577 करोड़ रुपए का सरकारी सहायता अनुदान (जीआईए) मंजूर किया गया है। 1577 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित जीआईए में से फरवरी, 2020 तक अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 595 करोड़ रुपए का जीआईए जारी किया गया है। शेष 982 करोड़ रुपए का जीआईए अक्तूबर, 2022 तक जारी किया जाना है।

समिति पाती है कि 2012-13 से 2017-18 तक योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की वार्षिक संख्या क्रमशः 4,18,12,12,3 और 1 है जो इस क्षेत्र की भारी संभावना की तुलना में बहुत उत्साहजनक नहीं है। यद्यपि, अक्तूबर, 2022 तक वितरण जारी रहेगा, तथापि समिति सिफारिश करती है कि ईएमसी योजना के लिए पर्याप्त निधि आवंटन सुनिश्चित किया जाए और सहायता अनुदान की परवर्ती किस्तें समय पर जारी की जाएं ताकि ये परियोजनाएं इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष परिवर्तन ला सकें।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा- संवर्धन-प्रमुख बाधाएं</u>

13. समिति नोट करती है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष आ रही प्रमुख बाधाओं में डब्ल्यूटीओ का आईटीए शामिल है। इलेक्ट्रॉनिकी पहला क्षेत्र था जिसे खोला गया था और जिसने बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए शून्य प्रशुल्क प्रणाली स्वीकार की। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौता-1 (आईटीए-1) के हस्ताक्षरकर्ता के रुप में भारत ने 217 टैरिफ लाइनों पर शून्य प्रशुल्क प्रणाली को कार्यान्वित किया है। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एसटीए) और अधिमान्य व्यापार समझौता (पीसीए) के अंतर्गत इन देशों से सामान्य से कम शुल्क पर इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के आयात की अनुमति है जिसके परिणामस्वरुप देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सीमित सुरक्षा मिल रही है। भारत में अन्य बाधाओं में अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला का पर्याप्त न होना तथा भारत में वित्त की अधिक लागत जो लगभग 9.5 प्रतिशत औसत ऋण दर पर है तथा घरेलू उद्योगों की ऋण की पर्याप्त समपार्श्वीकरण की अक्षमता है।

यद्यपि सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण के संवर्धन हेतु पहले से ही कई पहलें की है जिसमें अन्य बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019-20 को लागू करना, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में छूट, तर्कसंगत सीमा शुल्क आदेश, सरकारी खरीद आदेश और एमएसआईपीएस, ईएमसी, ईडीएफ और पीएमपी जैसी योजनाएं हैं, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है जिसमें सरकारी स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। अत: समिति सिफारिश करती है कि सरकार आईटीए-1 जैसे समझौतों के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं के समक्ष आ रही चुनौतियों को हल करने के तरीकों पर ध्यान दें। जैसे आईटीए-जिसे समझौतों के अंतर्गत सारे इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों को बिना किसी शुल्क के आयात करने की अनुमति है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे बहुस्तरीय समझौतों पर संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके पुनर्विचार की आवश्यकता है। समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने इस बारे में विभाग और वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहा है। उन्होंने इस मामले को अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ भी उठाया है। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इस संबंध में एक अनुकूल नीति के लिए समयबद्ध ढंग से परामर्श प्रक्रिया जल्द ही पूरी करे तथा इसके परिणामों से समिति को अवगत कराए। इसके अलावा, अवसरंचना का विकास और इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला तथा घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर निर्माताओं को कम कीमत/प्रमाण

पत्र मुक्त क्रेडिट हेतु योजनाएं प्राथमिकता के अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के संवर्धन हेतु मंत्रालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

<u>चीन से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात</u>

14. समिति नोट करती है कि चीन से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी सामान का आयात वर्ष 2015-16 में 55 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 57 प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में 60 प्रतिशत हुआ जो वर्ष 2018-19 में कम हो करके 39 प्रतिशत हो गया। वर्तमान में देश में कुल इलेक्ट्रॉनिकी सामान आयात का लगभग 37 प्रतिशत चीन से है। ये आयात ज्यादातर घटकों के रुप में है जो सब असेम्बली तथा अंतिम उत्पादों का विनिर्माणमें उपयोग होते हैं। हाल ही में चीन में कोरोना वायरस फैलने से आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध उत्पन्न होने से ऐसे घटकों की आपूर्ति की प्रभावित होने की संभावना है। तथापि यह प्रभाव कोरोना वायरस के रोग की तीव्रता और बने रहने पर निर्भर करता है। वर्तमान में औद्योगिक संघों और प्रमुख विनिर्माणी कंपनियों से यह सुनिश्चित किया गया कि अगले कुछ सप्ताह के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे। अन्य देशों से ऐसे घटकों के आयात के स्रोतों की तलाश करने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। उद्योग संघों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे अवसरों की तलाश के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के सम्मेलन आयोजित करें। मध्यम और दीर्घकालीन के परिप्रेक्ष्य में, पीएलआई, एसपीईसीएस, एससीएस जैसी योजनाओं के माध्यम से उचित प्रोत्साहन देते हुए कंपनियों को देश में इलेक्ट्रॉनिकी घटक उद्योग की स्थापना के लिए देश में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप का इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर संभावित प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए तथा भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर किसी विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यद्यपि भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिकी सामान मांग के प्रतिशत के रुप में इलेक्ट्रॉनिकी सामान के आयात में गिरावट दर्ज हो रही है, फिर भी समिति महसूस करती है कि वर्तमान स्तर पर भी चीन से इलेक्ट्रॉनिकी सामान आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। एक ही देश पर इलेक्ट्रॉनिकी सामान के स्रोत हेतु इतनी ज्यादा निर्भरता चिंता का विषय है। अत: समिति सिफारिश करती है कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर लघु से मध्यम अवधि के प्रभाव की समीक्षा की जाए तथा दीर्घ अवधि में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात के स्रोतों को बढ़ाने हेतु उपाय किए जाएं। साथ ही साथ किसी एक

बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि की जाए ताकि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप जैसी किसी भी अचानक/अप्रत्याशित/अनपेक्षित घटना से भारतीय बाजार में सामानों की भारी कमी न हो।

<u>साइबर सुरक्षा परियोजना (एनसीसीसी एवं अन्य)</u>

15. समिति नोट करती है कि साइबर स्पेस नागरिकों, सिविल सोसायटी, व्यापार और सरकार के लिए संचार और सूचना के प्रसारण का एक सामान्य माध्यम है। साइबर सुरक्षा परियोजना (एनसीसीसी एवं अन्य) का उद्देश्य देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए एक समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना है। समिति नोट करती है कि इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2019-20 में ब.अ. स्तर पर आवंटन 120 करोड़ रुपए था जिसे सं.अ. स्तर पर कम करके 102.00 करोड़ रुपए कर दिया गया तथा 31 जनवरी, 2020 तक वास्तविक उपयोग 58.60 करोड़ रुपए था। 2020-21 में 400.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में बजट अनुमान चरण में 170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा के खतरों के संबंध में वास्तविक समय में मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना का प्रस्ताव किया है। एनसीसीसी की स्थापना हेतु परियोजना का अनुमोदन 770 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्ष के लिए किया गया था तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद अप्रैल, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तथापि, एनसीसीसी परियोजना के लिए बजट आवंटन केवल वित्त वर्ष 2017-18 में किया गया था। एनसीसीसी का चरण-1 जुलाई, 2017 में शुरु हो गया था। इस चरण में आईएसपी और संगठनों के 20 साइटों के मेटाडाटा का संग्रहण और विश्लेषण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान चरण-दो स्टेज-1 का प्रचालन कार्य को शुरु करने का उद्देश्य दूरदराज की 15 अतिरिक्त साइटों से मेटा डाटा का संग्रहण और विश्लेषण करना है। वर्ष 2016 में कुल 65 पदों (60 एसएंडटी और 5 गैर एसएंडटी) की स्वीकृति दी गई थी जिनमें से 26 पदों (23 एसएंडटी और 3 गैर एसएंडटी) को भरा गया तथा शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में सर्ट-इन परियोजना का पूरा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है। एनसीसीसी चरण-दो का कार्यान्यन शुरु हो गया है। इस समय कार्यालय स्थल का पुनरुद्धार चल रहा है। एनसीसीसी के लिए प्राथमिक के साथ-साथ डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए डाटा केंद्र सह स्थिति सेवा को किराए पर लिया जाएगा। अगले वर्ष मुख्य रुप से प्रमुख आईटी ढांचागत वस्तुओं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद के लिए और चालीस अतिरिक्त साइटों की जरुरतें पूरा

करने हेतु डाटा सेंटर सह स्थिति सेवा सहित स्थान की आवश्यकता पूरी करने के लिए बजट की आवश्यकता होगी।

समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि एनसीसीसी की स्थापना हेतु अप्रैल 2015 में 770 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ 5 वर्ष के लिए परियोजना आरंभ की गई थी, को वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से ही बजट आवंटन मिलना शुरु हुआ तथा पांच वर्षों के दौरान परियोजना के लिए वास्तविक आवंटन 105 करोड़ रुपए था जो स्वीकृत परिव्यय का मात्र 13.63 प्रतिशत ही था। वर्ष 2016 में स्वीकृत 65 पदों में से आज तक मात्र 26 पदों को भरा गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साइबर सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है तथा इस पर पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है। साइबस स्पेस से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए एनसीसीसी की एक अग्रसक्रिय एजेंसी के रुप में स्थापना के संबंध में मंत्रालय का लापरवाहीपूर्ण रवैया काफी निराशाजनक है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों को प्रस्तुत किया जाए तथा जिम्मेदारी भी तय की जाए। समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि योजना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करायी जाए तथा शेष रिक्त पदों को समय से भरा जाए जिससे एनसीसीसी की स्थापना बिना किसी और विलंब की जा सके तथा समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

समिति ने मीडिया में आई रिपोर्टों और व्यक्तिगत शिकायतों पर चिंता व्यक्त की कि उनके टेलीफोन को बहुत ही उन्नत सॉफ्टवेयर पीगासस का प्रयोग कर हैक किया गया था। इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करने के बावजूद समिति सरकार से इस बात की पुष्टि नहीं करवा सकी कि ऐसा किसी अधिकृत निगरानी के परिणामस्वरुप हुआ। ऐसी स्थिति में समिति अनुरोध करती है कि सतर्कता विभाग यह सुनिश्चित करे कि भारतीय प्रयोक्ताओं की अनधिकृत निगरानी की अनुमति न होने दी जाए।

<u>पीएमजीदिशा</u>

16. समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक ग्रामीण भारत में 6 करोड़ ग्रामीण घरों (एक व्यक्ति प्रति घर) में डिजिटल साक्षरता प्रदान करने हेतु फरवरी, 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) नाम से एक योजना को स्वीकृति दी थी। तथापि 31 दिसंबर, 2019 को पीएमजीदिशा योजना के तहत कुल 3.19 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया, जिसमें से मात्र 2.56 करोड़ लाभार्थियों को

प्रशिक्षण दिया गया तथा इसमें से 1.88 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया। स्वीकृति के समय इस योजना से आशा की गई थी कि पीएमजीदिशा योजना दो वर्ष के समय में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करेगी। तथापि लगभग तीन वर्ष के पूर्ण होने के बाद योजना 2.56 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रबंध कर पाई है जो कि निर्धारित लक्ष्य का मात्र 42.66 प्रतिशत ही है। परिणामी मापन अर्हता प्रत्येक लाभार्थी द्वारा कम से कम पांच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान यूपीआई (भीम एप सहित), यूएसएसडी, पीओएस, एईपीएस, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग शामिल है। उपर्युक्त योजना का कुल परिव्यय लगभग 2351.38 करोड़ (लगभग) है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नामक कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सक्रिय सहयोग से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रुप में कार्यान्वित की जा रही है।

समिति नोट करती है कि योजना के 2 वर्ष के समय में 6 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए कैबिनेट स्वीकृति के बाद भी लगातार कई वर्षों से संसाधनों के अभाव के कारण योजना को कई प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ा तथा निर्धारित लक्ष्य नहीं मिल सका। वर्ष 2020-21 के दौरान पुन: 1175.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन में से इसे काफी कम करके 400.00 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ, जो कि चिंता का कारण है। समिति यह समझने में असफल रही कि कैसे एक योजना कैबिनेट की स्वीकृति के बाद भी अपेक्षित आवंटन प्राप्त करने में असफल रही। महत्वपूर्ण पीएमजीदिशा योजना में लक्ष्यों की गैर प्राप्ति पर गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति महसूस करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस महत्वपूर्ण योजना को निधियों की कमी के लिए प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा सिफारिश करती है कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निधियों की कमी तथा अन्य चुनौतियों को हल करने के लिए तुरंत उपाय किए जाएं। समिति चाहती है कि पीएमजीदिशा योजना को निधियों के आवंटन के संबंध में मंत्रालय के वित्त मंत्रालय से हुए सारे पत्राचार को समिति को प्रस्तुत किया जाए।

<u>सॉफ्टवेयर उत्पादों के संबंध में राष्ट्रीय नीति</u>

17. समिति नोट करती है कि वर्तमान में अनुमानित वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग 413 बिलियन यूएसडी (अमरीकी डॉलर) का है जिसमें से भारत का हिस्सा मात्र 7.1 बिलियन यूएसडी है जिसमें से 2.3 बिलियन यूएसडी निर्यात है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर उत्पादों का आयात

लगभग 10 बिलियन यूएसडी का है। अत: भारत सॉफ्टवेयर उत्पादों का वास्तविक आयातक है। आईटी उद्योग की समग्र वृद्धि के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी, 2019 को सॉफ्टवेयर उत्पादों 2019 के संबंध में राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी जिसके माध्यम से सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के समन्वित प्रयास से एक मजबूत सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन किया जा सके, जो अधिक संख्या में सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअपों के लिए उत्पादन आधार बना सके और आरएंडडी और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कर सके, पूंजी तक पहुंच के अनेक अवसर खोल दे और जिससे घरेलू मांग में सुधार हो सके ताकि भारत एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रुप में विकसित हो सके। योजना के तहत की जाने वाली पहल में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (एनएसपीएम) का गठन, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रॉडक्ट रजिस्ट्री (आईएसपीआर) का सृजन, सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (एसपीडीएफ) का गठन और नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेसन स्कीम (एनजीआईएस) आदि शामिल हैं।

लोकप्रिय अवधारणा के विपरीत इस सत्य को नोट करते हुए वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में भारत का हिस्सा काफी कम है तथा भारत सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक वास्तविक आयातक भी है, समिति का विचार है कि सॉफ्टवेयर प्राडक्ट वैल्यू चैन में बढ़ने हेतु यह आवश्यक है कि एक कंडयूसिव सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने के लिए मुख्यत: सेवा अनुकूलित भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग को एक प्रौद्योगिकी उन्मुख उत्पाद और सेवा उद्योग में परिवर्तन किया जाए। इसके लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति के तहत कल्पित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन करे तथा हर एक घटक के तहत की गई वास्तविक प्रगति से समिति को अवगत कराए।

नई दिल्ली;

11 मार्च, 2020

21 फाल्गुन, 1941 (शक)

डॉ. शशि थरूर,

सभापति,

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध-एक

इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण के लिए सरकार की पहलें

भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति-2019:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 (एनपीई, 2019) 25.02.2019 को अधिसूचित की गई है। एनपीई 2019 का उद्देश्य चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित करके और बढ़ावा देकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक केन्द्र के रुप में प्रस्तुत करना है।

2. **100 प्रतिशत एफडीआई:** मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, लागू कानूनों/नियमों सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए स्वचालित रूट के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई करने के लिए अनुमति है।

3. **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स):** इस योजना को 27 जुलाई, 2012 को अधिसूचित किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में अक्षमता को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इस योजना की अवधि को विस्तारित करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए, 15 और उत्पाद कार्यक्रमों को शामिल करके इस योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए इसमें अगस्त, 2015 में संशोधन किया गया है। निवेश में तेजी लाने के लिए इस योजना को जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है-विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20 प्रतिशत और गैर-एसईजेड में 25 प्रतिशत। पूरे इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों की 44 श्रेणियां/क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है। योजना 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और कार्यान्वयन चल रहा है।

4. **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना:** इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना 22 अक्टूबर, 2012 को अधिसूचित की गई है ताकि सारे विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के लिए निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सामान्य सुविधाओं और

सुविधाओं के लिए निवेश को अकर्षित किया जाए। इस योजना के तहत 3,565 एकड़ के क्षेत्र के 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) के लिए जिनकी कुल लागत सरकारी ग्रांट-इन-एड के 1,577 करोड़ रुपए सहित 3,898 करोड़ रुपए है को स्वीकृति दी गई है।

5. **इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ):** इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ) को पेशेवर रुप से प्रबंधित डॉटर फंड्स से भाग लेने के लिए एक फंड ऑफ फंड्स के रुप में स्थापित किया गया है, जो स्टार्टअप्स और क्षेत्र में नई तकनीकी को विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इस फंड से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की उम्मीद है। 5,500 करोड़ रुपए के लक्षित कोष के साथ 11 डाटर फंड को ईडीएफ के माध्यम से आईएनआर 659 करोड़ रुपए प्रतिबद्ध किया गया है।

6. **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी):** को मोबाइल हैंडसेट और उनके भागों/घटकों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके परिणामस्वरुप, भारत ने तेजी से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना शुरु कर दिया है और देश में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। मोबाइल हैंडसेट और उनके पुर्जो/घटकों का विनिर्माण लगातार सेमी नॉक डाउन (एसकेडी) स्तर से कम्पीलीटली नॉक डॉउन (एसकेडी) स्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन से उत्तरोतर वृद्धि हो रही है।

7. टैरिफ संरचना को इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सेलुलर मोबाइल हैंडसेट, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक घटक, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।

8. पूंजीगत सामान पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट: विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को शून्य मूल सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति है।

9. प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी का सरलीकृत आयात: दिनांक 11.06.2018 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार स्थानांतरण) नियमावली, 2016 में संशोधन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्ष का अवशिष्ट जीवन वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी के आयात को सरल बनाया गया है।

10. **अधिकायु प्रतिबंध में ढील:** राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 60/2018-सीमा शुल्क दिनांक 11.09.2018 द्वारा अधिूसचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क दिनांक 14.11.1995 में संशोधन किया गया है, भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान और मरम्मत या मरम्मत के लिए भारत में फिर से आयात किए जाने वाले सामान के है, के लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष की आयु प्रतिबंध को शिथिल किया गया।

11. **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश:** मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए और आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने दिनांक 15.06.2017 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आदेश और उसके बाद दिनांक 28.05.2018 और 29.05.2019 के आदेश के जरिए संशोधन के जरिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया की वरीयता) आदेश 2017 जारी किया है। उपर्युक्त आदेश को बढ़ाते हुए एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.09.2017 की अधिसूचना के जरिए 11 इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों अर्थात् डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप पीसी, टैबलेट पीसी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, संपर्क और संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, एलईडी उत्पाद, बायोमैट्रिक एक्सेस कंट्रोल/प्रमाणीकरण उपकरण, बायोमैट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, बायोमैट्रिक आइरिस सेंसर और सर्वर और दिनांक 01.08.2018 की अधिसूचना के जरिए सेल्यूलर मोबाइल फोनों को अधिसूचित किया है।

12. **अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ):** भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात अनुपालन के लिए एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 को अधिसूचित किया है। सीआरओ के तहत 44 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है।

13. **आरएंडी:** विनिर्माण, पारिस्थितिक तंत्र, उद्यमिता, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और मानव संसाधन और व्यवसायीकरण के लिए उद्योग के सहयोग से प्रोटोटाइप विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ आईआईटी-कानपुर में लार्ज एरिया एलेक्सीबल इलेक्ट्रानिक्स में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीएफएलईएक्स) स्थापित किया गया है।

14. आंतरिक सुरक्षा पर प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीईटीआईएस) की स्थापना आईआईटी-बॉम्बे में की गई है, जिसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सतत रुप से राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा जरुरतों को पूरा करना है।

15. अगली पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र अमोल्ड डिसप्ले, ओएलईडी लाइटिंग और ओपीवी उत्पाद की स्थापना: आईआईटी, मद्रास में इस उद्देश्य से किया गया है ताकि हितधारकों के सहयोग से विनिर्माण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर अमल करने के लिए संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करने के अगली पीढ़ी के अत्याधुनिक, उच्च वोल्यूम के और जैविक उपकरणों पर आधारित लागत प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक घटकों का विकास करें।

अनुबंध - दो

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति: उद्देश्य और स्थिति

उद्देश्य:

1. अपरंपरागत नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकों का निर्माण करने के लिए आईटी में भारत की ताकत का लाभ उठाने के लिए एक स्थायी सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना।
2. सॉफ्टवेयर उत्पाद के लिए स्थानीय घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसान पहुंच को बढ़ावा देकर 2025 तक ग्लोबल सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि के लिए प्रयास करना।
3. भारतीय एसएमई की उत्पादकता बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों का निर्माण करना और सॉफ्टवेयर उत्पादों का लाभ उठाना इस प्रकार उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाता है।
4. हेल्थकेयर, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक क्षेत्रों को बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए।
5. विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकने वाले सॉफ्टवेयर उत्पादों को विकसित करने के लिए 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के पोषण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, जिससे 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हो। इनमें से 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को टियर-2 और टियर-तीन नगरों और शहरों में स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाएगा।
6. व्यावसायिक उत्पाद बाजार में पहुंच बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पारस्थितिकी तंत्र में सुधार के माध्यम से सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग का समर्थन करना।
7. सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास की बारीकियों के जानकार 100,000 पेशेवरों का एक विशेष प्रतिभा पूल बनाना जो सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के विकास में सहयोग कर सकता है।
8. घरेलू बाजार (सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और एमएसएमई सहित) में अवशोषक क्षमता का निर्माण करना और कोर और सामाजिक बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध विकसित करना।
9. आईसीटी अवसंरचना, विपणन और परीक्षण सुविधाओं सहित समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए और सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की आवश्यकता के अनुरुप अन्य

उद्योग क्षेत्रों के साथ एकीकृत करने के लिए 20 सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास समूहों को स्थापित करना।

स्थिति

<u>राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (एनएसपीएम)</u>

सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन (एनपीएसपी 2019) के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और रणनीति को विकसित करने और निगरानी करने के लिए संयुक्त सचिव (एनपीएसपी) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (एनएसपीएम) का गठन किया गया है।

स्थिति: राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की पहली बैठक 19 अगस्त, 2019 को एसटीपीआई बेंगलुरु में आयोजित की गई थी।

भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री (आईएसपीआर)

भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री (आईएसपीआर) भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों (आईएसपीसी) की संख्या/आंकड़ों/डेटाबेस का विश्लेषण करने और सभी सॉफ्टवेयर उत्पादों को एक ही मंच पर लाने के लिए बनाया गया है।

स्थिति: नई दिल्ली में स्टार्ट-अप मीट के दौरान आईएसपीआर (www.ispr.gov.in) को 21 अक्तूबर, 2019 को लांच किया गया।

सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (एसपीडीएफ)

एसपीडीएफ बाजार तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों के स्केलिंग को बढ़ावा देने के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। एनपीएसपी-2019 के तहत, यह उल्लेख किया गया है कि 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक समर्पित एसपीडीएफ सरकार के 1000 करोड़ रुपए के अंशदान के साथ बनाया जाएगा।

स्थिति : एनएसपीएम द्वारा अनुशंसित के रुप में, विभाजन और उद्योग के साथ चर्चा के आधार पर, एक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास कोष के मसौदे में सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए राष्ट्रीय नीति के बढ़ावा देने के लिए भारतीय वेंचर कैपिटल फंड में निवेश करने के लिए सिद्धांतों का व्याख्या की गई है। मसौदा प्रस्ताव में एसपीडीएफ की प्रस्तावित संरचना और कार्यप्रणाली पर नोट शामिल है, जिसमें कानूनी संरचना, प्रबंधन, शासन, निदेश मानदंड और विज्ञापन शामिल हैं।

<u>सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार योजना</u>

सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास (आरआईएसई4सॉफ्टवेयर उत्पाद) के लिए एक अनुसंधान और नवाचार योजना तैयार की गई है जिसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य आधार पहचान संगठनों को उत्पाद और प्रक्रिया के संदर्भ में उनकी क्षमता का उपयोग करने और उन्हें बाजार में ले जाने के लिए सक्षम बनाना है ताकि भारतीय आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके। यह भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार, एमएसएमई, स्टार्टअप द्वारा जोखिम लेने और निजी उद्योग, सार्वजनिक संस्थानों और सरकार को एक छत के नीचे लाने की सुविधा प्रदान करेगा।

स्थिति : संशोधित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

ईज ऑफ डुइंग बिजनेस

स्थिति : आईएसपीआईआरटी से अनुरोध किया गया है कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी कंपनियों की अड़चन को दूर करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव (वर्तमान परिदृश्य और भविष्य के प्रभाव सहित) प्रदान करें। सॉफ्टवेयर उत्पादों पर टीडीएस से छूट का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और इसकी जांच की जा रही है।

जैसा कि एनएसपीएम द्वारा सिफारिश की गई है, विभाजन और उद्योग के साथ चर्चा के आधार पर, सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक मॉडल आरएफपी टेम्पलेट विकसित करने के लिए प्रो. डी.बी. पाठक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उपर्युक्त समिति एक मॉडल आरएफपी टेम्पलेट तैयार करेगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने और सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए मॉडल आरएफपी टेम्पलेट के आईटी सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के निर्माण को मानकीकृत और सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में 21 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में विशेषज्ञ समूह समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। सिफारिश के अनुसार, सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए मॉडल आरएफपी टेम्पलेट का प्रारंभिक मसौदा और सॉफ्टवेयर उत्पादों और सॉफ्टवेयर सेवाओं को परिवर्तित करने वाले सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए एक अन्य टेम्पलेट तैयार किया जा रहा है।

आईटी सॉफ्टवेयर (उत्पादों और सेवाओं) को एक एकल एचएस कोड यानी 8523.80 20-सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के रुप में परिभाषित किया गया है। एनपीएसपी 2019 के तहत, यह परिकल्पित और प्रस्तावित है कि भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली एक मॉडल एचएसएन कोड के माध्यम से विकसित की जाएगी।

स्थिति : सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एचएसएन कोड पर संशोधित प्रस्ताव, एनएसपीएम सुझावों के अनुसार, एक मसौदा प्रस्ताव संयुक्त सचिव, सीमा शुल्क को उनके विचार के लिए भेज दिया गया है।

नेक्स्ट जनरेशन इन्क्यूवेशन स्कीम (एनजीआईएस)

नेक्स्ट जनरेशन इन्क्यूवेशन स्कीम (एनजीआईएस) सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग करने और एनपीएसपी-2019 के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट जनरेशन इन्क्यूवेशन स्कीम (एनजीआईएस) का उद्देश्य फ्यूचरिस्टिक समस्याओं/उभरती हुई आईसीटी प्रौद्योगिकियों/सोसाइटी समस्याओं के समाधान/बकाया सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए काम करने वाले स्टार्ट-अप्स की पहचान करना और एसटीपीआई के तहत तकनीकी, वित्तीय और मानसिक सहायता के माध्यम से पहचान किए गए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है। निरंतर विकास, नए रोजगार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिए मजबूत आईटी उद्योग के पूरक के लिए पूरे भारत में इक्यूवेशन सुविधाएं और जीवंत सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।

स्थिति : इस योजना को चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है।

एमईआईटीवाई का स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम

प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (एसएसआरआईडीएच) के लिए एमआईटीवाई का स्टार्टअप एक्सलेरेटर अगले उच्च स्तर पर स्टार्ट-अप को लेने के लिए है।

स्थिति : प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

आईसीटी ग्रैंड चैंलेज

आईसीटी ग्रैंड चैंलेज प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर उत्पादों के रुप में नवीन प्रौद्योगिकी/समाधान उत्पन्न करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान किया जा सके और बड़े पैमाने पर बाजार के लिए संभावना हो ताकि स्थानीय परिवेश और जो ग्रामीण/शहरी व्यक्ति प्रभावी तरीके से समझ और उपयोग कर सकते हैं। ऐसी भाषा को अपनाने के माध्यम से लागत प्रभावी रुप से उत्पादों तक अधिक पहुंच बन सके। यह चुनौती भरे नेतृत्व वाले अनुशासनात्मक और अंत:विषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक आधार भी स्थापित करेगा, जिसमें नवीन विभागों की भागीदारी भी शामिल है जिन्हें पहले अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और प्रोत्साहन की कमी के कारण नहीं माना गया है।

स्थिति : आईसीटी ग्रैंड चैंलेज पर संशोधित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

<u>परिशिष्ट - एक</u>

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की दिनांक 10 फरवरी, 2020 को हुई चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

.....

समिति की बैठक सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को 1500 बजे से 1645 बजे तक समिति कक्ष संख्या '62', संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2.श्रीमती लॉकेट चटर्जी

3. श्री कार्ती पी चिदंबरम

4. डॉ. निशिकांत दुबे

5. चौधरी महबूब अली कैसर

6. डॉ सुकान्त मजूमदार

7. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे

8. श्रीमती महुआ मोइत्रा

9. श्री पी आर नटराजन

10. श्री संतोष पांडे

11. श्री निसिथ प्रमाणिक

12. डॉ जी रणजीत रेड्डी

13. श्री तेजस्वी सूर्या

14. डॉ. टी सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन

राज्य सभा

15. श्री वाई एस चौधरी

16. श्री सुरेश गोपी

17. श्री मोहम्मद नदीमुल हक

18. श्री सैयद नासिर हुसैन

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट - अपर सचिव
2. श्री वाई एम कांडपाल - निदेशक
2. डॉ सागरिका दास - अपर निदेशक
3. श्री शांगरीसो जिमिक - उप सचिव

साक्षीगणों की सूची

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई) के प्रतिनिधि

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री अजय प्रकाश साहनी	सचिव
2	श्री पंकज कुमार	सीईओ, आधार
3	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
4	श्री गोपालकृष्णन एस.	अपर सचिव
5	श्री राजीव कुमार	संयुक्त सचिव
6	श्री संजय गोयल	संयुक्त सचिव
7	श्री जयदीप कुमार मिश्रा	संयुक्त सचिव और महानिदेशक, एनआईईएलआईटी
8	श्री सौरव गौड़	संयुक्त सचिव
9	श्री राकेश माहेश्वरी	वैज्ञानिक 'जी'
10	श्री अरविंद कुमार	वैज्ञानिक 'जी'
11	श्रीमती नीता वर्मा	महानिदेशक, एनआईसी
12	डॉ संजय बहल	महानिदेशक, सर्ट-इन
13	डॉ हेमंत दरबारी	महानिदेशक, सी-डैक

14	डॉ ओमकार राय	महानिदेशक, एसटीपीआई

2. सभापति के स्वागत भाषण के पश्चात, सचिव, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में इस बिंदु पर जोर दिया कि मंत्रालय को आवंटित राशि को व्यय न माना जाए, बल्कि इसे देश के भविष्य के लिए निवेश माना जाए।

3. इसके पश्चात, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी जिसमें एमईआईटीवाईके अधिदेश, डिजिटल इंडिया के विजन, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अवसंरचना, बजट 2020-21 की प्रमुख विशेषताएं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत योजनाओं का आवंटन आदि बातें शामिल हैं। इस प्रस्तुति में ई-शासन में उपलब्धि, उत्प्रेरक के रूप में लोक डिजिटल प्लेटफार्म, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र का आशुचित्र, श्रमशक्ति विकास, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र (एनआईसी), सी-डैक (सी-डीएसी), राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन का निष्पादन और प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्य जारी, सी-मेट (सी-एमईटी) और समीर (एसएएमईईआर) आदि की उपलब्धियां शामिल हैं।

4. इसके बाद सदस्यों ने प्रस्तावित राशि की तुलना में कम आवंटन, योजना और गैर-योजना घटकों के लिए आवंटन, व्यय बनाम निवेश के रूप में वर्गीकरण, कम आवंटन से अवसंरचना को अद्यतन करने और योजनाओं के कार्यान्वयन और एनआईसी तथा यूआईडीएआई पर प्रभाव, साइबर सुरक्षा के अंतर्गत स्थापना और परियोजना शीर्ष के बीच आवंटन का पुनर्वितरण आदि पर स्पष्टीकरण मांगा। सदस्यों ने सरकारी इंस्टैंट मैसेजिंग सिस्टम (जीआईएमएस) की प्रगति, साइबर सुरक्षा के लिए धनराशि की उपलब्धता, राज्य डाटा केन्द्रों (एसडीसी) की स्थापना और इसके लिए विद्युत/अवसंरचना की उपलब्धता, एनआईसी ईमेल के प्रयोक्ता, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्माण और असेंबलिंग के बीच अंतर, भारत में इलेक्ट्रानिक सामानों के आयातों पर सीमा शुल्क, ईडीएफ द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप कंपनियों की संख्या आदि पर प्रश्न पूछे।

5. सदस्यों ने भारत में हार्डवेयर विनिर्माण के संवर्धन की आवश्यकता, सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर आईटीए-1 जैसे स्वतंत्र व्यापार करारों और भारत में इसके आयात पर प्रभाव, घरेलू इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एम-सिप्स, ईएमसी और ईडीएफ जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन, एनसीसीसी की स्थापना में प्रगति, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने

में इसकी भूमिका और चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप का भारत में इलेक्ट्रानिकी और आईटी क्षेत्र पर संभावित प्रभाव आदि जैसे मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे।

6. इसके बाद, सभापति ने समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए मंत्रालय के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

इसके पश्चात साक्षीगण वापस चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

<u>परिशिष्ट - दो</u>

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20)

समिति की अठारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

.....

समिति की बैठक बुधवार, 11 मार्च, 2020 को 1500 बजे से 1620 बजे तक समिति कक्ष संख्या '62', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3 श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
6. डॉ सुकान्त मजूमदार
7. सुश्री महुआ मोइत्रा
8. श्री पी. आर. नटराजन
9. श्री संतोष पांडे
10. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी
11. श्री संजय सेठ
12. डॉ. टी सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
13. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

14. श्री वाई. एस. चौधरी
15. श्री मो. नदीमुल हक
16. श्री सैयद नासिर हुसैन
17. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी
18. श्री रोनाल्ड सपा लाउ

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट - अपर सचिव
2. श्री वाई. एम. कांडपाल - निदेशक
3. श्रीमती सागरीका दास - अपर निदेशक
4. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक
5. श्री शांगरीसो जिमिक - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने अपने क्षेत्राधीन मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और इन्हें स्वीकार करने के लिए आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने विचार और स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को लिया।

(i) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।

(ii) . . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××

(iii) . . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××

(iv). . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××

4. इसके उपरांत, समिति ने कुछ संशोधनों के साथ उक्त प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

5. समिति ने सभापति को तथ्यात्मक सत्यापन, यदि कोई हो, से उद्भूत प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद के वर्तमान सत्र में सभा में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई

××××. . . **मामले प्रतिवेदन से संबंधित नहीं हैं।**